# Pram IAS

Officers Making Officers

Pram Ias

प्रस्थानम Batch

# भारतीय राजव्यवस्था

**Useful for 70th BPSC and Other Examination**

to the Point

Series-4

https://t.me/pramias1

## Features of foundation Batch

### Features

- Both Online /Offline Classes
- Classes By Smart Board
- Back Up /Doubt Class.
- Special Provision For Ews And Girls.
- Weekly Topic Wise Test.
- Monthly And Yearly Magazine
- Motivational Session By Selected Officers.
- Maximum Output In Minimum Fee
- Affordable Fee:
- Best Faculty Member:

## Features of Mains Batch

### Features

- Through Coverage Of All Papers.
- Complete Analysis Of PYQ
- How To Write An Answer
- Weekly Test And Discussion
- One To One Intraction With Officers To Clearify All Doubts.
- Answer Writing Programes

| S.N | Content | Page No |
|---|---|---|
| 1. | संविधान का परिचय | 1-4 |
| 2. | भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत | 4-5 |
| 3. | ऐतिहासिक विकास | 6-9 |
| 4. | संविधान सभा | 9-11 |
| 5. | भारतीय संविधान की 16 प्रमुख विशेषताएँ | 11-13 |
| 6. | संविधान की प्रस्तावना | 13-14 |
| 7. | नागरिकता | 15-16 |
| 8. | मौलिक अधिकार | 16-22 |
| 9. | राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत | 22-24 |
| 10. | मौलिक कर्तव्य | 25-25 |
| 11. | भारत के राष्ट्रपति | 25-27 |
| 12. | भारत के उपराष्ट्रपति | 27-28 |
| 13. | प्रधानमंत्री | 28-29 |
| 14. | मंत्रिपरिषद | 30-30 |
| 15. | कैबिनेट | 31-32 |
| 16. | मंत्रिमंडलीय समितियाँ | 33-33 |
| 17. | भारत का महान्यायवादी | 34-34 |
| 18. | संसद | 35-43 |
| 19. | सर्वोच्च न्यायालय | 43-48 |
| 20. | राज्यपाल | 48-49 |
| 21. | मुख्यमंत्री | 49-50 |
| 22. | विधानपरिषद | 50-51 |
| 23. | उच्च न्यायालय | 51-53 |
| 24. | अंतर्राज्यीय परिषद | 54-55 |
| 25. | भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक | 55-56 |
| 26. | वित्त आयोग | 57-57 |
| 27. | नीति आयोग | 57-59 |
| 28. | राष्ट्रीय विकास परिषद | 60-60 |
| 29. | भारत निर्वाचन आयोग | 60-61 |
| 30. | राज्य चुनाव आयोग | 62-62 |
| 31. | लोक सेवा आयोग: संघ और राज्य | 62-64 |
| 32. | राज्य पुनर्गठन आयोग | 64-65 |
| 33. | राजभाषा आयोग | 65-66 |
| 34. | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | 66-67 |
| 35. | संविधान संशोधन | 67-73 |
| 36. | बहुमत के प्रकार | 73-74 |



**Contact Us : Boring Road Chauraha ,Near V Mart,Cheap And Best 3rd Floor. Patna-800001,Bihar.Mob:- 7783879015/ 9122859055**

# Our features

## Why PRAM IAS, like officers platform is needed?

**There is huge communication gap between the students and officers. And we felt that we need some kind of open platform ,a platform where student can directly have access to the selected officers who has hand on experience in clearing the exam, as well as selected officers who are willing to contribute can directly do So.**

LiveClass

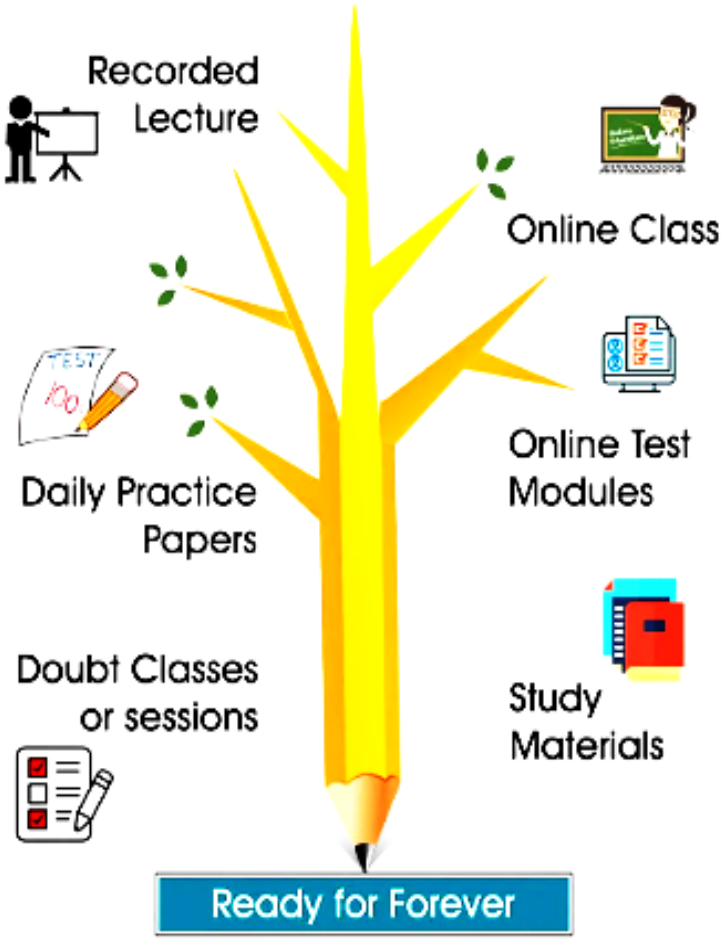

The interview guidance program at PRAM IAS prepared me for the final stage of this examination. The suggestions given by the officers were helpful. The one to one guidance and the officers' accessibility is commendable.

Sweta

Sweta Priyadarshi
Rank 33RD, 65th BPSC
Senior Deputy Collector

# 1. संविधान का परिचय

### भारतीय संविधान मूलभूत जानकारी

- अनुच्छेदों की संख्या 450+
- भागों की संख्या 22
- अनुसूचियों की संख्या 12
- संशोधनों की संख्या 105

## भारतीय संविधान के भाग

- **भाग I –** संघ और उसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)
- भाग II- नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
- **भाग III**– मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद 12 – 35)
- **भाग IV**– राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36 – 51)
- **भाग IVA**– मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
- **भाग V-** संघ (अनुच्छेद 52-151)
- भाग VI- राज्य (अनुच्छेद 152 -237)
- भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
- भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239-242)
- भाग IX- पंचायत (अनुच्छेद 243- 243O)
- भाग IXA- नगर्पालिकाएं (अनुच्छेद 243P – 243ZG)
- **भाग X-** अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद 244 – 244A)
- भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245 – 263)
- भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद (अनुच्छेद 264 -300A)
- भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301 – 307)
- भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अनुच्छेद 308 -323)
- भाग XIVA- अधिकरण (अनुच्छेद 323A – 323B)
- भाग XV- निर्वाचन (अनुच्छेद 324 -329A)
- भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध (अनुच्छेद 330- 342)
- भाग XVII- राजभाषा (अनुच्छेद 343- 351)
- भाग XVIII- आपात उपबंध (अनुच्छेद 352 – 360)
- भाग XIX- प्रकीर्ण (अनुच्छेद 361 -367)
- भाग XX- संविधान के संशोधन अनुच्छेद
- **भाग XXI-** अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (अनुच्छेद 369 – 392)
- भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (अनुच्छेद 393 – 395)

### भारतीय संविधान की अनुसूचियां

आइये उन भारतीय संविधान की अनुसूचियां के बारे में पढ़े:

| | |
|---|---|
| **प्रथम** | इस अनुसूची में भारत, उसके राज्य और उसके केंद्रीय शासित प्रदेशो के बारे में वर्णन है और उनकी सूची बतायी गयी है। |
| **द्वितीय** | इस अनुसूची में विभिन्न संविधानिक विशिष्ट पदाधिकारियो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश आदि के वेतन-भत्ते के विषय में वर्णन है। |
| **तृतीय** | इस अनुसूची में विभिन्न संविधानिक विशिष्ट पदाधिकारियो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश आदि के शपथ ग्रहण के विषय में वर्णन है। |
| **चौथी** | इस अनुसूची में राज्य सभा में कितनी सीट किस राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश से होंगी के बारे में वर्णन है, राज्य सभा के सदस्यों का चयन विधान सभा करती है। |
| **पांचवी** | इस अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशाशन के बारे में वर्णन है, की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशाशन की सुविधा हो। |
| **छटी** | इस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशाशन के बारे में वर्णन है, और ये विशेष रूप से इन 4 राज्यों में इनका वर्णन मिलता है, ये 4 राज्य कुछ इस प्रकार है:<br>• असम<br>• मेघालय<br>• त्रिपुरा |

| | |
|---|---|
| | • मिज़ोरम<br>इन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के प्रशाशन के बारे में इस अनुसूची में वर्णन है। |
| **सातवीं** | इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में वर्णन है. संघ सूची में जिन विषयों की बात की गयी है, उन विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सूची में जिन विषयों की बात की गयी है, उन विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों के बीच कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। |
| **आठवीं** | इस अनुसूची में भाषाओं के विषय में वर्णन है, प्रारंभ में इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी, पर अब वर्त्तमान में ये 14 से बढ़कर 22 हो चुकी है। |

**नौवीं, दसवीं, ग्यारह, बारवीं**

दोस्तों, अब हम उन 4 अनुसूचियों के बारे में पढ़ते है, जिनको भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया, जो कुछ इस प्रकार है:

| क्र. संख्या | किस संसोधन द्वारा जोड़ा गया | किस वर्ष में जोड़ा गया | अनुसूची में किस विषय का वर्णन है | अनुसूची की विशेषता |
|---|---|---|---|---|
| **नौवीं** | 1 | 1951 | इस अनुसूची में भूमि सुधार के विषय में वर्णन है और इसको लेकर कुल 284 बिंदु है जिनपर यह विषय आधारित है। | पहले इस विषय को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में इस विषय को लेकर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। |
| **दसवीं** | 52 | 1985 | इस अनुसूची में पार्टियों में दल-बदल के संबंध के बारे में वर्णन है। | ज्यादा दल-बदल को लेकर रोकथाम। |
| **ग्यारह** | 73 | 1992 – 1993 | इस अनुसूची में पंचायती व्यवस्था को अपनाने के बारे में वर्णन है। | इस विषय में 29 कार्यक्षेत्र बनाये गए है , इन कार्यक्षेत्रो में पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत कौन से कार्य है वे बताये गए है जैसे, कृषि, पशुपालन, गाँव में साफ-सफाई से जुड़ी समस्याएं आदि। |
| **बारवीं** | 74 | 1992 – 1993 | इस अनुसूची में नगर प्रशासन के विषय में बताया गया है। | इस विषय में 18 कार्यक्षेत्र बनाये गए है, इन कार्यक्षेत्रो में नगर प्रशासन के अंतर्गत कौन से कार्य है वे बताये गए है। |

## संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची

**अनुच्छेद नंबर 1:** - संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
**अनुच्छेद नंबर 3:** नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन
**अनुच्छेद 13:-- मौलिक अधिकारों** को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में
**अनुच्छेद नं 14:**- कानून के समक्ष समानता
**अनुच्छेद नं 16:-** सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता
**अनुच्छेद 17:-** अस्पृश्यता का उन्मूलन
**अनुच्छेद नं 19:-** "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण
**अनुच्छेद नं 21:-** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
**अनुच्छेद नं. 21A:-** प्राथमिक शिक्षा का अधिकार
**अनुच्छेद नं 25:-** अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता
**अनुच्छेद नं 30:-** अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार
**अनुच्छेद नं 31C:** - कुछ **निर्देशक सिद्धांतों** को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या
**अनुच्छेद नं 32:-** मौलिक अधिकारों को लागू के लिए "रिट" सहित अन्य उपचार
**अनुच्छेद नं 38:-** राज्य, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा
**अनुच्छेद न.40:-** ग्राम पंचायतों का संगठन
**अनुच्छेद नं 44:-** नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता
**अनुच्छेद नं 45:-** 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
**अनुच्छेद नं 46:**- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिओं और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा
**अनुच्छेद नं 50:-** कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना

**अनुच्छेद नं 51:-** अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
**अनुच्छेद सं 51A: - मौलिक कर्तव्य**
**अनुच्छेद नं 72:-** राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे:- क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान
**संसद की एक सत्र की कार्यवाही: व्यय का ब्यौरा**
**अनुच्छेद नं 74:-** राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
**अनुच्छेद नं 76:- भारत के महान्यायवादी**
**अनुच्छेद नं 78:-** राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए **प्रधानमंत्री** के कर्तव्य
**अनुच्छेद नं 110:-** धन विधेयकों की परिभाषा
**अनुच्छेद नं 112:-** वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
**अनुच्छेद नं 123:- संसद** के मध्यावकाश के दौरान **राष्ट्रपति** की अध्यादेश प्रख्यापित करने शक्ति
**अनुच्छेद नं 143:- सुप्रीम कोर्ट** से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
**अनुच्छेद नं.148:-** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
**अनुच्छेद नं 149:-** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां
**अनुच्छेद नं 155:-** राज्यपाल की नियुक्ति
**अनुच्छेद नं 161:-** क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की **राज्यपाल की शक्ति**
**अनुच्छेद नं 163:-** राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद
**अनुच्छेद नं 165:- राज्य के महाधिवक्ता**
**अनुच्छेद नं 167:-** राज्यपाल को जानकारी देने के लिए **मुख्यमंत्री के कर्तव्य**
**अनुच्छेद नं 168:-** राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था
**अनुच्छेद नं 169:-** राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन
**अनुच्छेद नं 170:-** राज्यों में विधान सभाओं की संरचना
**अनुच्छेद नं 171:-** राज्यों में विधान परिषदों की संरचना
**अनुच्छेद नं 172:-** राज्य विधानमंडलों की अवधि
**अनुच्छेद नं 173:-** राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता
**अनुच्छेद नं 174:-** राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन
**अनुच्छेद नं 178:-** विधान सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर
**अनुच्छेद नं 194:-** महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता (Immunity)
**अनुच्छेद नं 200:-** राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति
**अनुच्छेद नं 202:-** राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट)
**अनुच्छेद नं 210:-** राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा
**अनुच्छेद नं 212:-** न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं
**अनुच्छेद नं 213:-** राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति
**अनुच्छेद नं 214:-** राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था
**अनुच्छेद नं 217:-** उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें
**अनुच्छेद नं 226:-** उच्च न्यायालयों की **रिट** जारी करने की शक्ति
**अनुच्छेद नं 239AA:** - दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
**अनुच्छेद नं 243B: - पंचायतों का गठन**
**अनुच्छेद सं 243C: -** पंचायतों की संरचना
**अनुच्छेद नं 243G: -** पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार
**अनुच्छेद नं 243K: -** पंचायतों के चुनाव
**अनुच्छेद नं 249:-** राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति
**अनुच्छेद नं 262:-** अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय
**अनुच्छेद नं 263:-** अंतर-राज्यीय परिषद् के सम्बन्ध में प्रबंध
**अनुच्छेद नं 265:-** कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
**अनुच्छेद नं 275:-** कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
**अनुच्छेद नं 280:-** वित्त आयोग की स्थापना
**अनुच्छेद नं 300:-** वाद और कार्यवाहियां
**अनुच्छेद नं 300A: -** विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना (संपत्ति का अधिकार)
**अनुच्छेद नं 311:-** संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बर्खास्तगी।
**अनुच्छेद:-312:- अखिल भारतीय सेवाएँ**
**अनुच्छेद नं 315:-** संघ और **राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग** की स्थापना
**अनुच्छेद नं 320:-** लोक सेवा आयोगों के कार्य
**अनुच्छेद नं 323-A: -** प्रशासनिक न्यायाधिकरण
**अनुच्छेद नं 324:-** निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना
**अनुच्छेद संख्या 330:-** लोकसभा में अनुसूचित जातियों और **अनुसूचित जनजातियों** के लिए सीटों का आरक्षण

**अनुच्छेद नं 335:-** सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
**अनुच्छेद नं 352:-** आपात की उद्घोषणा **(राष्ट्रीय आपात)**
**अनुच्छेद नं 356:-** राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान (राष्ट्रपति शासन)
**अनुच्छेद नं 360:-** वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध
**अनुच्छेद नं 365:-** संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव (राष्ट्रपति शासन)
**अनुच्छेद नं 368:-** संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया
**अनुच्छेद नं 370:-** जम्मू- कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान

# 2. भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत

### भारत शाशन अधिनियम 1935:

अंग्रेजो द्वारा ये अधिनियम लागू किया गया था, ताकि इससे भारत की शाशन व्यवस्था को चलाया जा सके। अंग्रेजो के जाने के बाद इस अधिनियम से लगभग **250 अनुछेद** भारतीय संविधान में जोड़े गए, और उस समय संविधान में कुल 395 अनुछेद थे, तो 395 में से 250 अनुछेद इस अधिनियम से जोड़े गए जो लगभग **60 प्रतिशत** होता है, ये अधिनयम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्त्रोत है।
इस अधिनियम से लिए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

- **न्यायपालिका** – न्यायपालिका की व्यवस्था जैसे **सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय**, उनकी शक्तियां, ये **स्वंतंत्र और निष्पक्ष** रूप से कार्य करते है और ये एकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करती है।
- **CAG ( Comptroller and Auditor General )** – ये एक संविधानिक पद और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इनका कार्य **सरकारी खातों** और **सरकार द्वारा खर्च** की जा रही राशि की जाँच करना होता है, इनका कार्य ये पता लगाना होता है कि सरकार जो राशि खर्च कर रही है वो सही दिशा में खर्च कर रही है या नहीं, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही जाँच करते है। इसका उल्लेख हमें भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 148** में मिलता है।
- **लोक सेवा आयोग ( UPSC )** – भारतीय संविधान के तहत ही इसका गठन हुआ और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अखिल भारतीय सेवक चुने जाते है जैसे **आईएएस ( IAS ), आईपीएस ( IPS ), आईएफएस ( IFS )** आदि और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुछेद संख्या 315 से लेकर 323 तक मिलता है।

**ब्रिटेन:**
बहुत वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहने के बाद संविधान बनाने के क्रम में क्यूँकि ब्रिटेन ही भारत पर राज कर रहा था तो उसके कार्यो की छवि भारत में दिखी और वहां से भी बहुत सारे प्रावधान संविधान में जोड़े गए, यहाँ से जोड़े गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

- **संसदीय शाशन व्यवस्था** – इस व्यवस्था के अंतर्गत **लोक सभा, राज्य सभा, और संसद में राष्ट्रपति** भी शामिल होते है, संसद के बहुत से कार्य होते है जैसे विधेयक ( bill ) बनाना, और कई उच्च पदों को निलंबित करने की प्रक्रिया आदि, इसमें स्तरीय बैठक होती है जिसमे देश की नीतियों के संधरब में कार्य होता है।
  एक वर्ष में 3 सत्र होते है जिसमे **बजट सत्र, मानसून सत्र, और शीतकालीन सत्र** होते है।
- **संसदीय विशेषाधिकार** – **लोक सभा, राज्य सभा तथा उनके सदस्यों और संसदीय समितियों** को कुछ विशेषाधिकार संविधान में प्राप्त है, ये विशेषाधिकार इन्हे इसलिए दिए गए है, ताकि ये स्वंतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसका उल्लेख हमे अनुछेद 105 में मिलता है।
- **विधि का शाशन** – इस प्रावधान का अर्थ यह है की **विधि ही शाशक** है और विधि के हिसाब से ही शाशन चलना चाहिए अगर कोई विधि के शाशन का उलंघन करता है तो उसे दण्डित करा जाना चाहिए।
- **एकल नागरिकता** – भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का ही नागरिक होगा वह किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा, वह विशेष रूप से किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा, उसे भारत का नागरिक ही कहा जायेगा।
- **मंत्री-मंडल व्यवस्था** – संसद में मंत्री-मंडल व्यवस्था है, संसद में चुनी हुई सरकार मंत्री-मंडल का गठन करती है, जैसे प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री आदि।

**संयुक्त राज्य अमेरिका**
अमेरिका से लिए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

- **मौलिक अधिकार** – भारत में हर एक नागरिक को कुछ **मौलिक अधिकार** दिए जाते है, जो उससे कोई नहीं छीन सकता है, ये प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है, इनका उल्लेख संविधान के **अनुच्छेद 12 से 35 के बीच और भाग 3** में मिलता है और वर्तमान में **6 मौलिक अधिकार** दिए जाते है।
- **न्यायिक पुनरावलोकन** – न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त है की वो **संसद के द्वारा बनाए गए विधि की जांच कर सकती है** की वो विधि संविधान के अनुरूप बनायीं गयी है या नहीं, इसका उल्लेख **अनुछेद 137** में देखने को मिलता है।

- **संविधान की सर्वोच्चत्ता** – भारत में सबसे ऊपर संविधान है, **संविधान को सर्वोच्चत्ता प्रदान करने वाली जनता होती है**, संविधान को जनता से शक्ति मिलती है।
- **निर्वाचित राष्ट्रपति** – इस प्रावधान के तहत भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, जो जनता के द्वारा **अप्रत्यक्ष रूप** से निर्वाचित होगा।
- **महाभियोग** – अगर राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कार्य करते है तो उन पर संसद में **महाभियोग** चलाया जा सकता है, इसका उल्लेख अनुछेद 61 में मिलता है।

**कनाडा**

कनाडा से लिए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

- **संघात्मक व्यवस्था** – इस प्रावधान में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में एक जोड़ होता है, इसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में **शक्तियों का विभाजन** होता जिसकी वजह से दोनों सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य करती है।
- **अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास** – वह शक्तियां जो केंद्र और राज्य सरकार में दोनों के ही पास नहीं आती और बची रह जाती है तो उस स्थिति में वो शक्ति केंद्र के ही पास जाएँगी और राज्य सरकार उन पर अपना अधिकार नहीं डाल सकती है।

**आयरलैंड**

आयरलैंड – आयरलैंड से लिए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

- **राज्य के नीति निर्देशक तत्व** – संविधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही निर्देश दिए गए है की जनता के सम्बन्ध में कुछ भी बनाना हो या कोई विधि बनाना हो तो इन सब चीजों को करने में संविधान में दिए गए **नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाए** और इनके अंतर्गत ही कोई कार्य किया जाए और **अनुछेद 36 से लेकर अनुछेद 51** तक इनका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है।
- **राज्य सभा में मनोनय** – संविधान में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सभा में **12 सदस्यों** को मनोनीत कर सकते है।

**दक्षिण अफ्रीका**

दक्षिण अफ्रीका से लिए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

- **संविधान संशोधन** – **संविधान संशोधन** की व्यवस्था भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ली गयी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है क्यूंकि हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, **परिस्थितियों के हिसाब से हमेशा परिवर्तन करना चाहिए**। संविधान में अगर कुछ संशोधन करना हो तो इस प्रावधान के तहत संशोधन किया जा सकता है, इसका उल्लेख हमे **अनुछेद 368** में मिलता है।

**फ्रांस**

फ्रांस से लिए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

- **समानता, स्वंतंत्रता और बंधुत्व** – फ्रांस की क्रांति में **समानता, स्वंतंत्रता और बंधुत्व** ये तीन शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित थे उनकी क्रांति में इन शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ, भारत के संविधान में भी इन तीन शब्दों को फ्रांस से ही लिया गया है।
- **गणतंत्र** – इस व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संचालन करेंगे, इसमें कुछ भी **वंशानुगत** नहीं होगा।

**ऑस्ट्रेलिया**

ऑस्ट्रेलिया से लिए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

- **समवर्ती सूची** – ये केंद्रीय और राज्य सूची से अलग वह सूची है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते है।
- **संयुक्त अधिवेशन** – विधेयक ( bill ) से जुड़े कार्य संसद में होते है, और यदि कोई विधेयक राज्य सभा और लोक सभा में अलग अलग पारित नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति एक **संयुक्त अधिवेशन** बुला सकते है जिसमे दोनों सदन की कार्यवाही साथ में होती है और उसकी अध्यक्षता **लोक सभा के अध्यक्ष** करते है, इसका उल्लेख संविधान के **अनुच्छेद 108** में मिलता है।

**जर्मनी**

जर्मनी से लिए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

**आपात के समय मूल अधिकार का खंडन** – भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि आपातकाल के समय जो संविधान के तहत नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए जाते है, वो **मौलिक अधिकार आपातकाल के समय समाप्त हो जाते है** और कोई भी न्यायालय में इसके खिलाफ अपनी याचिका दर्ज नहीं कर सकता।

**जापान**

जापान से लिए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

**विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया** – भारतीय संविधान में विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जोड़ा गया है, इसका तात्पर्य यह है की **विधि के द्वारा जो भी प्रक्रिया निर्धारित करी गयी है**, हमेशा उसके हिसाब से ही कार्य करते हुए आगे बढ़ते चले जाना चाहिए।

**रूस**

रूस से लिए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

**मौलिक कर्त्तव्य** – मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, इन्हे **42वे संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति** की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किये गए और वर्तमान में **11 मौलिक कर्तव्य** भारतीय संविधान में शामिल है जिन्हें भारत के हर एक नागरिक को इनका पालन करना चाहिए।

# 3. ऐतिहासिक विकास

**रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773:**

- अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित: इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की।
- भारतीय मामलों पर नियंत्रण: इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था।
- गवर्नर-जनरल का परिचय: इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर "बंगाल के गवर्नर-जनरल" कर दिया।
- बंगाल में प्रशासन गवर्नर-जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाना था।
- वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल बनाया गया था।
- बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कार्य करते थे।
- सुप्रीम कोर्ट की स्थापना: बंगाल (कलकत्ता) में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिचर की स्थापना की जानी थी, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल थे, जहाँ सभी मामलों के निवारण की मांग की जा सकती थी।
- इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे।
- वर्ष 1781 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और गवर्नर-जनरल, परिषद तथा सरकार के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यदि कोई कृत्य करते हैं तो उन्हें अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई थी।

**पिट्स इंडिया एक्ट, 1784:**

- दोहरी नियंत्रण प्रणाली: इसने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना की।
- कंपनी, राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई और भारत में इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को 'ब्रिटिश संपत्ति' कहा गया।
- हालाँकि इसने वाणिज्य और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखा।
- निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना:
- नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखने के लिये कंपनी के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इसमें शामिल थे:
  - राजकोष के चांसलर
  - राज्य का एक सचिव
  - प्रिवी काउंसिल के चार सदस्य (क्राउन द्वारा नियुक्त)
- महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मामले, ब्रिटिश सरकार के सीधे संपर्क में तीन निदेशकों (निदेशकों के न्यायालय) की एक गुप्त समिति के लिये आरक्षित थे।
- गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ: गवर्नर-जनरल की परिषद को कमांडर-इन-चीफ सहित तीन सदस्यों तक सीमित कर दिया गया था।
- वर्ष 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की गई थी।
- यदि वह निर्णय की ज़िम्मेदारी लेता है तो उसे परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने की अनुमति दी गई थी।

**चार्टर अधिनियम, 1793:**

- गवर्नर-जनरल की शक्तियों का विस्तार: इस अधिनियम ने लॉर्ड कार्नवालिस को उनकी परिषद पर जो शक्ति प्रदान की उन्हीं शक्तियों का विस्तार भविष्य के सभी गवर्नर-जनरलों और प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को किया गया।
- वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति: गवर्नर-जनरल, गवर्नर और कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिये शाही अनुमोदन अनिवार्य था।
- कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी, ऐसा करना इस्तीफे के रूप में माना जाता था।
- अधिकारियों का भुगतान: इसने निर्धारित किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए (यह वर्ष 1919 तक जारी रहा)।
- कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को (इसके आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के बाद) करने के लिये भी कहा गया था।

**चार्टर अधिनियम, 1813:**

- अंग्रेज़ व्यापारियों की मांग: अंग्रेज़ व्यापारियों ने भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी की मांग की।
- यह मांग विशेष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली के कारण व्यापार के नुकसान के मद्देनज़र की गई थी, जिसने इंग्लैंड को व्यावसायिक रूप से बेहद नुकसान पहँचाया था।
- कंपनी के एकाधिकार का अंत: इसके द्वारा कंपनी अपने वाणिज्यिक एकाधिकार से वंचित हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इससे पूर्व क्राउन की तरफ से अधिकार पूर्वक शासन कर रही थी, की शक्तियों में कमी आई।
- हालाँकि कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था।
- शिक्षित मूल निवासियों को सहायता: साहित्य के पुनरुद्धार, विद्वानों, भारतीय मूल निवासियों के बीच प्रोत्साहन और भारतीयों के मध्य वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिये सालाना 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई।

- यह शिक्षा प्रदान करने की राज्य की ज़िम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम था।

**चार्टर अधिनियम, 1833:**
- कंपनी की व्यापारिक स्थिति: कंपनी को प्रदान की गई 20 साल की लीज (चार्टर एक्ट, 1813 के तहत), जिसमें प्रदेशों पर अधिकार एवं राजस्व संग्रह शामिल था, को आगे बढ़ा दिया गया था।
- हालाँकि चीन के साथ और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया।
- यूरोपीय आप्रवासन: यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिये गए जिससे भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- भारत के गवर्नर-जनरल का परिचय: बंगाल के गवर्नर-जनरल को अब 'भारत का गवर्नर-जनरल' बना दिया गया था।
- उसे नागरिक और सैन्य मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन जैसी कंपनी की सभी शक्तियाँ दी गई थीं।
- समस्त राजस्व उसके अधिकार के तहत वसूले जाते थे और खर्च पर भी उसका पूरा नियंत्रण था।
- विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
- विधि आयोग: इस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिये इसकी स्थापना की गई थी।
- इसने भारत के लिये गवर्नर-जनरल की परिषद में एक चौथा कॉमन सदस्य जोड़ा, जो एक कानूनी विशेषज्ञ था।
- लॉर्ड मैकाले चौथे कॉमन सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे।

**चार्टर अधिनियम, 1853:**
- कंपनी की व्यापारिक स्थिति: जब तक संसद कोई और आदेश प्रदान नहीं करती है, तब तक क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार जारी रखना था।
- सिविल सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण भंग कर दिया गया था; सेवाओं को अब एक प्रतियोगी परीक्षा के ज़रिये सबके लिये खोल दिया गया था।
- चौथा कॉमन सदस्य: कानून से जुड़े एक सदस्य को गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया।
- भारतीय विधान परिषद: भारतीय विधायिका में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इस विधायी विंग को भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा।
- हालाँकि किसी ऐसे कानून की घोषणा के लिये गवर्नर-जनरल की सहमति आवश्यक थी जो विधान परिषद के किसी भी विधेयक को वीटो कर सके।

**भारत सरकार अधिनियम, 1858:**
वर्ष 1857 के विद्रोह के परिणाम: 1857 के विद्रोह ने प्रशासन में कंपनी की सीमा को उजागर कर दिया था।
विद्रोह ने कंपनी द्वारा कब्ज़ा किये गए क्षेत्र पर अधिकार के विभाजन की मांग के रूप में अवसर प्रदान किया।
कंपनी के शासन का अंत: पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली का अंत हो गया। अब भारत को राज्य के सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाने लगा।
यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी।

**भारतीय परिषद अधिनियम 1861:**
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलने वाले कैबिनेट के रूप में कार्य करने के लिए बदल दिया। इसे इसलिए पेश किया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय लोगों को शामिल करना चाहती थी। यह अधिनियम 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया था।
**अधिनियम के मुख्य प्रावधान:**
- इसने भारतीयों को कानून बनाने से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की
- वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया
- लॉर्ड कैनिंग मनोनीत- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव
- बॉम्बे और मद्रास की विधायी बनाने की शक्तियों को बहाल किया
- बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना
- वायसराय परिषद में व्यापार के सुविधाजनक लेनदेन के लिए प्रावधान कर सकता था।
- इसने लॉर्ड कैनिंग के 'पोर्टफोलियो सिस्टम' को मान्यता दी
- आपातकाल के दौरान परिषद की सहमति के बिना वायसराय द्वारा अध्यादेश जारी किए जा सकते थे। हालांकि, इस तरह के एक अध्यादेश की अवधि छह महीने थी।

**अधिनियम की कमियां:**
- अधिनियम की सबसे बड़ी कमी अतिरिक्त सदस्यों के चयन और भूमिका को लेकर थी।
- इन सदस्यों ने चर्चा में भाग नहीं लिया और उनकी भूमिका केवल सलाहकार की थी।
- कार्यकारी परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों को परिषद की बैठकों में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत वे उनमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं थे।
- भारतीय सदस्य किसी भी विधेयक का विरोध करने के योग्य नहीं थे और प्रायः विधेयकों को बिना चर्चा के एक ही बैठक में पारित कर दिया जाता था।

**भारतीय परिषद अधिनियम 1892:**
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और कार्य में विभिन्न संशोधन पेश किए। सबसे विशेष रूप से, अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया।

**अधिनियम के मुख्य प्रावधान:**

- परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों की वृद्धि
  - बॉम्बे - 8
  - मद्रास - 20
  - बंगाल - 20
  - उत्तर-पश्चिमी प्रांत -15
  - अवध - 15
  - केंद्रीय विधान परिषद न्यूनतम – 10, अधिकतम 16
- सदस्य अब इस पर वोट देने की क्षमता के बिना भी बजट पर बहस कर सकते हैं और अनुवर्ती प्रश्न पूछने पर भी रोक लगा सकते हैं।
- काउंसिल में गवर्नर-जनरल को सदस्य नामांकन के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था, जो भारत के राज्य सचिव के अनुमोदन के अधीन था।
- केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों दोनों में गैर-सरकारी सीटों को भरने में चुनाव के उपयोग के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया।
- केंद्रीय विधान परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए नामांकन (बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों और कक्षों की सिफारिश के आधार पर प्रांतीय विधान परिषद के लिए राज्यपाल)

**अधिनियम का महत्व:**

- भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- इस अधिनियम ने भारत में विभिन्न विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की जिससे ब्रिटिश भारत में प्रशासन के संबंध में भारतीयों की भागीदारी बढ़ गई।
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की ओर पहला कदम था।
- इस अधिनियम ने भारत में क्रांतिकारी ताकतों के विकास के लिए मंच तैयार किया क्योंकि अंग्रेजों ने केवल एक छोटी सी रियायत दी थी।

**मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1909**

- यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक कृत्यों में से एक है
- इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:
- केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई
- इस अधिनियम ने प्रांतीय विधायिका स्तर पर गैर-सरकारी बहुमत की शुरुआत की
- इस अधिनियम ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार-विमर्श के कार्यों का विस्तार किया
- इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कार्यकारी परिषद से जुड़ने का प्रावधान किया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कानून सदस्य एस.पी सिन्हा बने
- मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की गई थी
- प्रेसीडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग-अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किए गए थे

**1919 का भारत सरकार अधिनियम**
इस अधिनियम ने कई विशेषताओं की नींव रखी जिन्हें हम वर्तमान समय में भारतीय संविधान के साथ जोड़ते हैं
अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- उद्देश्य: भारत में जिम्मेदार सरकार का क्रमिक परिचय
- इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग-अलग करके प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को शिथिल कर दिया
- द्वैध शासन: प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित सूची और आरक्षित सूची में विभाजित किया गया था। आरक्षित सूचियों को राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया गया था जो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं थे, जबकि स्थानांतरित सूचियों को परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया गया था।
- द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार पेश किए गए
- अधिनियम ने अनिवार्य किया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के छह सदस्यों में से तीन भारतीय होने चाहिए
- सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के सिद्धांत का विस्तार किया गया
- इसने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया
- भारत के उच्चायुक्त का पद सृजित। राज्य सचिव की कुछ शक्तियां आयुक्त को हस्तांतरित कर दी गईं
- प्रांतीय बजट को पहली बार केंद्रीय बजट से अलग किया गया
- केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई
- वैधानिक आयोग 10 साल बाद इस अधिनियम के प्रभाव का विश्लेषण करेगा

**भारत सरकार अधिनियम 1935**

- इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था।

- इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों- संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजित किया। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गईं। हालाँकि, यह संघ कभी सफल नहीं हुआ क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं।
- इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की
- अधिनियम ने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत की, अर्थात राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह से कार्य करना आवश्यक था
- इसने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया। हालांकि, यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ
- द्विसदनीयवाद छह प्रांतों- बंगाल, बॉम्बे मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में पेश किया गया था
- दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया
- 1858 के अधिनियम के अनुसार स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था, इसके बजाय राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई थी।
- स्थापना के लिए प्रदान किया गया अधिनियम- संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक।

**भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947:**

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताएं हैं:

- इस अधिनियम ने भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया
- इस अधिनियम ने भारत के विभाजन और दो नए अधिराज्यों- भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान किया
- इस अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया
- इस अधिनियम ने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर-जनरल प्रदान किया, जिसे ब्रिटिश राजा द्वारा डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त किया जाना था।
- इस अधिनियम ने दो अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने-अपने राष्ट्रों के लिए किसी भी संविधान को बनाने और अपनाने और स्वतंत्रता अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया।
- नए संविधानों का मसौदा तैयार और लागू होने तक संविधान सभाओं को अपने संबंधित प्रभुत्व के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था।
- इस अधिनियम ने रियासतों को किसी भी अधिराज्य में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता प्रदान की
- प्रत्येक डोमिनियन का शासन भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के आधार पर संचालित किया जाना था
- ब्रिटिश सम्राट अब न तो बिल मांग सकते थे और न ही उन्हें वीटो कर सकते थे। हालाँकि, यह गवर्नर-जनरल के लिए आरक्षित था।
- डोमिनियन के गवर्नर-जनरल को परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बनाया गया था

# 4. संविधान सभा

संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन रॉय द्वारा सामने रखा गया था। 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का आह्वान किया। 1938 में, जे नेहरू ने संविधान के संबंध में यह जोरदार बयान दिया- 'स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए'

1940 के अपने 'अगस्त प्रस्ताव' के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा पहली बार एक संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। आखिरकार, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत एक संविधान सभा की स्थापना की गई।

**परिषद की संरचना**

- इसका गठन 1946 में किया गया था
- इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:
- विधानसभा की कुल ताकत: 389
- ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें और रियासतों के लिए 93 सीटें
- ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 292 सीटें गवर्नर के ग्यारह प्रांतों से और चार मुख्य आयुक्त के प्रांतों से होनी थीं
- उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को तीन प्रमुख समुदायों- मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच तय किया जाना था
- प्रांतीय विधान सभा में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से मतदान होना था।
- रियासतों के प्रतिनिधियों को इन रियासतों के मुखिया द्वारा मनोनीत किया जाना था

**याद रखें: रचना के संबंध में कुछ अवलोकन:**

- आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत

- प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव जो स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे
- चुनाव का अप्रत्यक्ष तरीका होते हुए भी इसमें समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे

**संविधान सभा का कार्य**
- पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी
- पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया
- पहली बैठक में अस्थाई अध्यक्ष : डॉ सच्चिदानंद सिन्हा
- चुनाव होने के बाद- डॉ राजेंद्र प्रसाद और एचसी मुखर्जी क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए।
- सर बीएन राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया
- एक बार माउंटबेटन योजना पारित होने के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य भी जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा थे, परिषद की कार्यवाही में भाग लेते थे
- रियासतों के सदस्य जो शुरू में कार्यवाही से दूर रहे थे, उन्होंने भी भाग लिया
- दो साल, 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा के 11 सत्र हुए
- संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था

**उद्देश्य प्रस्ताव:**
'उद्देश्य प्रस्ताव' को प्रस्तुत करना और अनुमोदन (**13 दिसंबर, 1946**)- 'उद्देश्य प्रस्ताव' 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में 'भारत के संविधान की प्रस्तावना' का रूप ले लिया।

**संविधान सभा की समितियां**
संविधान के निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। कुछ प्रमुख और लघु संविधान सभा समितियाँ नीचे दी गई हैं:

**प्रमुख समितियां**
- संघ शक्ति समिति: जे नेहरू की अध्यक्षता में
- संघ संविधान समिति: जे नेहरू द्वारा अध्यक्ष
- प्रांतीय संविधान समिति: एस पटेल की अध्यक्षता में
- मसौदा समिति: अध्यक्ष डॉ बीआर अंबेडकर द्वारा
- मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति- एस पटेल की अध्यक्षता में। इसकी निम्नलिखित उप-समितियाँ थीं:
- FR उप समिति: जेबी कृपलानी
- अल्पसंख्यक उप-समिति: एचसी मुखर्जी
- उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम अपवर्जित और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति- गोपीनाथ बारदोलोई
- बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति: एवी ठक्करी
- नियम प्रक्रिया समिति: डॉ राजेंद्र प्रसाद
- राज्यों के साथ बातचीत के लिए राज्य समिति: जे नेहरू
- संचालन समिति: डॉ राजेंद्र प्रसाद

**लघु समितियां**
- संविधान सभा के कार्यों पर समिति: जीवी मावलंकर
- व्यापार समिति का आदेश: डॉ केएम मुंशी
- हाउस कमेटी: बी पट्टाभि सीतारमैया
- राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति: डॉ राजेंद्र प्रसाद
- संविधान के मसौदे की जांच करेगी विशेष समिति: अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यार

**मसौदा समिति:**
- इसे संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति माना जाता था
- इसकी अध्यक्षता डॉ बीआर अंबेडकर ने की
- उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने और विधानसभा में संविधान पारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
- समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित किया। दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में जनता द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करने के बाद प्रकाशित किया गया था।

**संविधान का अधिनियमन और प्रवर्तन**

- संविधान का अंतिम मसौदा 1948 में विधानसभा में पेश किया गया था
- बाद में पढ़ने के बाद, संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को संविधान दिया
- उपरोक्त तिथि को संविधान के कुछ प्रावधान लागू हुए। हालाँकि, अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए। इस तिथि को संविधान में 'इसके प्रारंभ होने की तिथि' के रूप में संदर्भित किया गया है। इस दिन को हर साल 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाया जाता है
- इस दिन को संविधान निर्माताओं द्वारा 26 जनवरी 1930 को शुरू हुए 'पूर्ण स्वराज' को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया था।

**संविधान सभा की आलोचना**

- प्रतिनिधि निकाय नहीं क्योंकि सदस्य सीधे निर्वाचित नहीं होते थे
- यह एक संप्रभु निकाय नहीं था क्योंकि यह ब्रिटिश आदेश के आधार पर स्थापित किया गया था
- संविधान बनाने में अनावश्यक रूप से लंबा समय लगा
- इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का दबदबा था।
- इसमें वकील-राजनेता का अधिक दबदबा था
- इसमें मुख्य रूप से हिंदुओं का वर्चस्व था

हालाँकि, उपरोक्त आलोचनाएँ संविधान सभा की सही तस्वीर पेश नहीं करती हैं। यद्यपि यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुई थी, संविधान सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। भारत जैसे देश के लिए संविधान बनाने की चुनौती को देखते हुए समय लेने वाली प्रक्रिया वाजिब थी। संविधान में धर्मनिरपेक्ष प्रावधान और संविधान की स्थिरता निश्चित रूप से साबित करती है कि संविधान ने भूमि के प्रमुख धर्म को कोई प्रत्यक्ष या गुप्त वरीयता नहीं दी है।

# 5.भारतीय संविधान की 16 प्रमुख विशेषताएँ

**(1) लिखित तथा निर्मित संविधान -**

भारत का संविधान ' संविधान सभा ने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था, इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धान्त औपचारिक रूप से लिख दिए गए हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना की प्रक्रिया, कार्य-प्रणाली, नागरिकों के साथ उनके सम्बन्ध, नागरिकों के अधिकार, कर्त्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

**(2) विस्तृत तथा व्यापक -**

भारतीय संविधान बहुत विस्तृत तथा व्यापक है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ व 2 परिशिष्ट हैं तथा इसे 22 खण्डों में विभाजित किया गया है। एच. वी. कामथ ने इसकी विशालता के सम्बन्ध में कहा था, "हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है।" डॉ. जैनिंग्स के अनुसार, "भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है।"

**(3) लचीले और कठोर संविधान का सम्मिश्रण -**

भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरपन का अच्छा सम्मिश्रण है। यह न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही इंग्लैण्ड के संविधान की तरह लचीला है। संविधान की अनेक धाराओं में परिवर्तन करने की सरल प्रक्रिया उसे लचीला बना देती है। कुछ अनुच्छेदों में संसद साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है, लेकिन अन्य अनुच्छेदों में संशोधन के लिए सदन में उसकी समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के | दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के उन भागों में, जिनका सम्बन्ध संघ और राज्य के अधिकार क्षेत्र से है; के लिए संविधान में व्यवस्था है कि संशोधन उस समय तक नहीं होगा जब तक कि आधे राज्य इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान न कर दें।

**(4) सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य की स्थापना -**

संविधान द्वारा भारत में सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य की स्थापना की गई है। सम्पूर्ण प्रभुत्व का आशय है कि भारत आन्तरिक और बाह्य, दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च है। वह स्वतन्त्र रूप से अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है तथा उस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी विदेशी दबाव नहीं है। भारत दोनों ही क्षेत्रों में पूर्णतया स्वतन्त्र है।

**(5) गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना -**

संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया है। गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसमें शासन का प्रधान आनुवंशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो। हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है, उसका निर्वाचन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। अत: भारत में सदियों से चली आ रही राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली को समाप्त करके गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है।

**(6) संघात्मक शासन की स्थापना -**
भारत 28 राज्यों का एक संघ है। भारत "में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस हेतु तीन सूचियाँ बनाई गई हैं-संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। केन्द्र तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है।

**(7) संघात्मक होते हुए भी एकात्मक -**
भारत के संविधान का ऊपरी ढाँचा संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। हमारे संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक, दोनों संविधानों की विशेषताएँ पाई जाती हैं।

**(8) धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना -**
भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता होगी। राज्य से सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्रत्येक सम्प्रदाय को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबन्ध करने तथा चल अथवा अचल सम्पत्ति रखने का अधिकार होगा।

**(9) समाजवादी राज्य की स्थापना -**
42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द जोड़ा गया है। संविधान के 44वें संशोधन में भी इसको प्रस्तावना में स्थान दिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना है।

**(10) संसदीय शासन की स्थापना -**
संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गई है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और उसके पास केवल नाममात्र की शक्तियाँ हैं। शासन सम्बन्धी वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल के पास हैं। मन्त्रिमण्डल अपनी शासन सम्बन्धी नीतियों के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

**(11) मौलिक अधिकारों की व्यवस्था -**
मूल संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन सन् 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा 'सम्पत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब सम्पत्ति का केवल कानूनी अधिकार है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार हैं-
(i) समानता का अधिकार,
(ii) स्वतन्त्रता का अधिकार,
(iii) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार,
(iv) संस्कृति व शिक्षा का अधिकार,
(v) शोषण के विरुद्ध अधिकार,
(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

**(12) मौलिक कर्तव्य -**
मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की |व्यवस्था की गई थी, परन्तु 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्त्तव्य भी निर्धारित किए गए। वर्तमान में इन कर्त्तव्यों की संख्या 11 है

**(13) नीति-निदेशक तत्त्वों की व्यवस्था -**
आयरलैण्ड के संविधान की भाँति | भारतीय संविधान में भी नीति-निदेशक तत्त्वों को स्थान दिया गया है। संविधान में इन तत्त्वों के द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि वे जनता के जीवन को अधिक-से-अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करें।

**(14) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना -**

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश की न्यायपालिका संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है।

**(15) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकार -**
हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों था जनजातियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पश्यता का अन्त कर दिया गया है।

**(16) वयस्क मताधिकार की व्यवस्था -**
भारतीय संविधान में प्रारम्भ से ही नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक 18 वर्ष के स्त्रीपुरुष को मतदान का अधिकार है।

## 6. संविधान की प्रस्तावना

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्त्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिये

दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

- प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किये गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया।

**प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थ:**

**हम भारत के लोग-**
- इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है अर्थात् दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है।

**संप्रभुता-**
- इस शब्द का आशय है कि, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- **समाजवादी-**
- समाजवादी शब्द का आशय यह है कि 'ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूँजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो।

**पंथनिरपेक्ष-**
- 'पंथनिरपेक्ष राज्य' शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि, संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करने चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) जोड़े गए। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएँ विद्यमान हैं अर्थात् हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है।

**लोकतांत्रिक-**

- संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद् रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। व्यस्क मताधिकार, समाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राजव्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं।

**गणतंत्र-**

- प्रस्तावना में 'गणराज्य' शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं 'वंशागत लोकतंत्र' तथा 'लोकतंत्रीय गणतंत्र' में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है।
- गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिये चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं।
- पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती हैं।
- दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिये हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिये खुला होगा।

**स्वतंत्रता-**

- यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिये अवसर प्रदान करता है।
- **न्याय-**
- न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे तीन भिन्न रूपों में देखा जा सकता है- सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय।
- सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव-मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो।
- आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए।
- राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अधिकार।

**समता-**

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती हैं जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध।
- **बंधुत्व -**
- इसका शाब्दिक अर्थ है- भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

**प्रस्तावना से सम्बंधित वाद**

- **यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 –** इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।
- **बेरुबाड़ी यूनियन 1960 के वाद में (AIR1960 SC 845; निर्णीत 14 मार्च 1960) –** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना इसमें सहायता करती है। इसी वाद में सर्वोच्य न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना अर्थात अब संविधान के **अनुच्छेद-368** (संविधान में संशोधन का अधिकार) के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 (AIR 1973 SC 1461) –** इसी वाद में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा "**मूल ढांचे का सिद्धांत**" दिया गया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा स्वीकार कर लिया गया। इस वाद के निर्णय ने पिछले निर्णय को रद्द कर दिया और अब से प्रस्तावना को भारतीय संविधान का **अभिन्न अंग** मान लिया गया और अब इसी के निर्णय के आधार पर प्रस्तावना में विधायिका द्वारा संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संसद इसमें किसी भी प्रकार का **नकारात्मक संशोधन** नहीं कर सकती अर्थात इसमें से कोई काट-छांट नहीं की जा सकती और न ही कोई ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जो इसके मूल उद्देश्यों को परिवर्तित करता हो, हाँ संसद इसमें ऐसा संशोधन अवश्य कर सकती है जो इसके मूल ढांचे को और मजबूत करे व इसका विस्तार करे।

# 7. नागरिकता

**भारत के संविधान की शुरुआत में नागरिकता**

भारत का संविधान २६ नवम्बर १९४९ को स्वीकार किया गया था। उस दिन भारत में जो भी लोग रह रहे थे, वे सभी स्वतः भारत के नागरिक हो गए। भारत के विभाजन के कारण जो भाग पाकिस्तान में चले गए थे, उन भागों से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए भी संविधान में व्यवस्था की गयी थी।

**जन्म के द्वारा नागरिकता**

- 26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक है।
- 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसका कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था।
- 7 जनवरी 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ वह कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है, यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों अथवा यदि एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी न हो, तो वह नागरिक भारतीय या विदेशी हो सकता है।

**वंश के द्वारा नागरिकता**

- 26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 10 दिसम्बर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति वंश के द्वारा भारत के नागरिक हैं यदि उनके जन्म के समय उनके पिता भारत के नागरिक थे।और यदि उसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय मूल का है तो उस बच्चे को नागरिकता दी जा सकती है।
- 10 दिसम्बर 1992 को या इसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था।
- 3 दिसम्बर 2004 के बाद से, भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि जन्म के बाद एक साल की अवधि के भीतर उनके जन्म को भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत ना किया गया हो. कुछ विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार के अनुमति के द्वारा 1 साल की अवधि के बाद पंजीकरण किया जा सकता है। एक भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक अवयस्क बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए आवेदन देने के साथ अभिभावकों को लिखित में उपक्रम को यह बताना होता है कि इस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है।

**पंजीकरण द्वारा नागरिकता**

- केन्द्रीय सरकार, आवेदन किये जाने पर, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत किसी व्यक्ति (एक गैर क़ानूनी अप्रवासी न होने पर) को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्न में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है:--
- भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल के लिए भारत का निवासी हो;
- भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में साधारण निवासी हो;
- एक व्यक्ति जिसने भारत के एक नागरिक से विवाह किया है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल के लिए भारत का साधारण निवासी है;
- उन व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हैं;
- पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति जिसके माता पिता सात साल से भारत में रहने के कारण भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं।
- पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति, या उसका कोई एक अभिभावक, पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले एक साल से वह भारत में रह रहा है।
- पूरण आयु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति जो सात सालों के लिए भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है और पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले वह एक साल से भारत में रह रहा है।

**देशीयकरण के द्वारा नागरिकता**

- एक विदेशी नागरिक देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसने आवेदन से पहले 12 साल का समय भारत में व्यतीत किया हो।
- किसी भू-भाग को भारत में मिलाकर
- भारत के बाहरी क्षेत्र जैसे भारत के पड़ोसी देश के भू-भाग को अगर भारत में मिलाया जाता है तो वहां उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत के नागरिक होंगे और भारत सरकार द्वारा उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी

**भारत में नागरिकता छोड़ने के तरीके:**

1) **स्वैच्छिक त्याग:**
   - यदि कोई भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग सकता है।
   - जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। हालाँकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तो वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकता है।

2) **समाप्ति द्वारा:**
   - भारत का संविधान **एकल नागरिकता प्रदान करता है।** इसका मतलब है कि एक **भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है।**
   - यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो **उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है।** हालाँकि यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब भारत युद्ध में व्यस्त हो।

3) **सरकार द्वारा वंचित:**
   - भारत सरकार किसी **भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि;**
   - नागरिकों ने **संविधान का अपमान किया है।**
   - **धोखे** से नागरिकता प्राप्त की है।
   - नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया है।
   - पंजीकरण या देशीयकरण के **5 साल के भीतर किसी भी देश में एक नागरिक को 2 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई हो।**
   - नागरिक **7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो।**

# 8. मौलिक अधिकार

**मौलिक अधिकारों के बारे में:**
- संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35 तक) में मौलिक अधिकारों का विवरण है।
- संविधान के भाग III को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गई है।
- 'मैग्नाकार्टा' अधिकारों का वह प्रपत्र है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था।

**मौलिक अधिकार: भारत का संविधान छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है:**
- समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

- **मूलतः** संविधान में संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी शामिल था। हालाँकि इसे 44वें संविधान अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।
  - इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300 (A) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
- **मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी।
  - यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्राप्त है।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है।
- **रिट क्षेत्राधिकार:** यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है।
  - सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) रिट जारी कर सकते हैं। ये हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा।

**मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ:**

- संविधान द्वारा संरक्षित: सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है।
  - कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिये उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिये उपलब्ध हैं चाहे वे नागरिक, विदेशी या कानूनी व्यक्ति हों जैसे- परिषद एवं कंपनियाँ।
- ये स्थायी नहीं हैं। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा।
  - ये असीमित नहीं हैं, लेकिन वाद योग्य हैं।
  - राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हालाँकि कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है।
- ये न्यायोचित हैं। जब भी इनका उल्लंघन होता है ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं।
  - मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है।
- अधिकारों का निलंबन: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर) इन्हें निलंबित किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है, जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है।
- सशस्त्र बलों, अर्द्ध-सैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही अन्य सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है (अनुच्छेद 33)।
  - ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है, जहाँ फौजी कानून का मतलब 'सैन्य शासन' से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है।

| **मौलिक अधिकार (नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार) (शत्रु देश के लोगों को छोड़कर)** | **केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है** |
|---|---|
| कानून के समक्ष समता।<br>अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।<br>प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।<br>प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।<br>कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण।<br>बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध।<br>कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध।<br>धर्म की अभिवृद्धि के लिये प्रयास करने की स्वतंत्रता।<br>धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।<br>किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट।<br>कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। | धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।<br>लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।<br>अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के छह मौलिक अधिकारों का संरक्षण।<br>अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण।<br>शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। |

**समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18):**

- **विधि के समक्ष समता**: अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
  - प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात् संवैधानिक निगम, कंपनियाँ, पंजीकृत समितियाँ या किसी भी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है।
  - **अपवाद**: अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किये गए किसी कार्य या लिये गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती है।
  - अनुच्छेद 361-A के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय-वस्तु का प्रकाशन समाचार-पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है।
  - अनुच्छेद 105 के अनुसार, संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिये गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
  - अनुच्छेद 194 के अनुसार, राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिये गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
  - विदेशी संप्रभु (शासक), राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे

- **भेदभाव पर रोक**: अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा।
  - **अपवाद**: महिलाओं, बच्चों, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान (जैसे- आरक्षण और मुफ्त शिक्षा तक पहुँच) के लिये कुछ प्रावधान किये जा सकते हैं।

- **सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता**: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।
  - **अपवाद**: राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है।
  - इसके अतिरिक्त किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है

- **अस्पृश्यता का उन्मूलन**: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
  - अस्पृश्यता के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभा के लिये चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। इन अपराधों में शामिल हैं:
    - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का प्रचार।
    - किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोकना।
    - अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिये प्रवेश से रोकना।
    - पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना।
    - अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना।

- **उपाधियों का उन्मूलन**: भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में चार प्रावधान करता है:
  - यह निषेध करता है कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
  - यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा।
  - कोई विदेशी, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है।
  - राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है।

**स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22):**

- 6 अधिकारों का संरक्षण: अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के छह अधिकारों की गारंटी देता है:

- **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार**
  - यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है।
- **शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार**
  - किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन शामिल है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है।
  - यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिये नहीं है।
- **संगम या संघ बनाने का अधिकार**
  - इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियाँ, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार शामिल है।
- **अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार**
  - संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं- आंतरिक (देश में निर्बाध संचरण), (अनुच्छेद 19) और बाहरी (देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार), (अनुच्छेद 21)।
- **निवास का अधिकार**
  - जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु नियम-कानून बनाने का अधिकार है।
- **व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार**
  - इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे- महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक (हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि) व्यवसाय।

- **अपराध के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण**: अनुच्छेद-20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिये गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में तीन व्यवस्थाएँ की गई हैं:
  - किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिये तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि ऐसा कोई कार्य करते समय, (जो व्यक्ति अपराध के रूप में आरोपित है) किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है।
  - किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा।
  - किसी भी अपराध के लिये अभियुक्त व्यक्ति को स्वंय अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा।

**प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता**: अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिये उपलब्ध है।

- प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में अधिकार के कई प्रकार है- इसमें 'प्राण के अधिकार' को शारीरिक बंधनों में नहीं बाँधा गया है बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इनसे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है।
- **शिक्षा का अधिकार**: अनुच्छेद 21(A) में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
- यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में।
- यह प्रावधान 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किया गया था।
- 86वें संशोधन से पहले भी संविधान में भाग IV के अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था।

**निरोध (हिरासत) एवं गिरफ्तारी से संरक्षण**: अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है।

- हिरासत दो तरह की होती है- दंड विषयक और निवारक।
  - दंड विषयक हिरासत, एक व्यक्ति, जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है, को दंड देती है।
  - निवारक हिरासत वह है, जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए।
- अनुच्छेद 22 का पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार।
  - विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार।
  - दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सम्मुख 24 घंटे के अंदर, यात्रा के समय को मिलाकर, पेश होने का अधिकार।
  - दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग निवारक हिरासत मामले से संबंधित है। इस अनुच्छेद में नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिये सुरक्षा उपलब्ध है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक कि सलाहकार बोर्ड (उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश) इस बारे में उचित कारण न बताएँ।
  - निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिये।
  - निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

**शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)**

- **मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध:** भारत में पुराने समय में ज़मींदार, सूदखोर और अन्य धनी लोग **बंधुआ मज़दूरी** करवाते थे। देश में अभी भी खासतौर से भट्ठे के काम में बंधुआ **मज़दूरी** करवाई जाती है लेकिन अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और कानून द्वारा दंडनीय है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार (बलात् श्रम) और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प-सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके।
- यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर-नागरिक दोनों के लिये उपलब्ध है।
- मानव तस्करी के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं:
  1. पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद-बिक्री।
  2. वेश्यावृत्ति।
  3. देवदासी।
  4. दास।
- इस तरह के कृत्यों के लिये दंडित करने हेतु संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम 13, 1956 को लागू किया।
- **बाल श्रम पर रोक:** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 24** किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है।
- हालाँकि यह किसी नुकसान न पहुँचने वाले अथवा गैर-जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है।
- बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कानून है।
  - बाल श्रम (निषेध और रोकथाम) संशोधन अधिनियम, (Child labour (Prohibition and Prevention) Amendment Act)- 2016 को लागू किया गया।

- यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को 'खतरनाक व्यवसायों' (Hazardous Occupations) के कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है।

## धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

**अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता:**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का सामान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिकों एवं गैर-नागरिकों के लिये भी उपलब्ध है।

- **अंतःकरण की स्वतंत्रता**: किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता।
- **धर्म को मानने का अधिकार:** व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का सार्वजनिक तथा बिना भय के घोषणा करने का अधिकार।
- **आचरण का अधिकार:** धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था तथा विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता।
- **प्रचार का अधिकार:** अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। परंतु इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है।
  - अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित करता है।
- **सीमाएँ:** सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है।
  - कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह या मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिये अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है।
- **धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:
  - धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिये संस्थानों की स्थापना और रख-रखाव का अधिकार।
  - अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार।
  - इसके अतिरिक्त चल और अचल संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार।
  - अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है।

- **धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय से स्वतंत्रता:** अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख-रखाव में व्यय करने के लिये कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।
- इसमें कहा गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख-रखाव के लिये व्यय नहीं कर सकता है।
  यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है।
- यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर।
  शुल्क लगाने का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन द्वारा धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित करना है।

- **धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता:** अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य (भारत का क्षेत्र) निधियों से पूर्णत: पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए।
- हालाँकि यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो।
- राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने के लिये शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिये उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा।
  - अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी।

## संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)

- **अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण:** अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
- इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता।
- अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
  हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि **'नागरिकों के अनुभाग'** शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है।

- **शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार:** अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों (चाहे धार्मिक या भाषायी) को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:

- सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिये निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि से उनके लिये प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या निरस्त नहीं होंगे।
  - यह उपबंध 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है।
- राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
- इस तरह अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण अल्पसंख्यकों (धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषायी ) की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिये (जैसा कि अनुच्छेद 29) नहीं है।

**अनुच्छेद 31, 31A, 31B और 31C**

- संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था।
  - हालाँकि संविधान लागू होने के समय से ही संपति का मौलिक अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा।
  - 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार, भाग 3 में अनुच्छेद 19 (1) (च) को समाप्त कर दिया गया और इसके लिये संविधान के भाग XII में नए अनुच्छेद 300 A के रूप में प्रावधान किया गया।
  - संपत्ति का अधिकार अब भी एक कनूनी अधिकार (संवैधानिक अधिकार) है।
- अनुच्छेद 31 ने कई संवैधानिक संशोधनों का नेतृत्व किया जैसे- 1, 4वें, 7वें, 25वें, 39वें, 40वें और 42वें संशोधन।
  - प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 ने अनुच्छेद 31A और 31B को संविधान में सम्मिलित किया।
  - 25वें संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31C को शामिल किया गया था।
- **अनुच्छेद 31A:** यह कानूनों की पाँच श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है और इन्हें अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देकर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है।
- इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार।
  - राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना।
  - निगमों का विलय।
  - निगमों के निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या समाप्ति।
  - खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या उनकी समाप्ति।
- **अनुच्छेद 31B:** यह **नौवीं अनुसूची** में उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 31B का दायरा अनुच्छेद 31A से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31A में उल्लिखित पाँच श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या नहीं।
- हालाँकि I.R. कोएल्हो केस (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि को नौवीं अनुसूची के अंतर्गत रखकर इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती।
- 24 अप्रैल, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मौलिक ढाँचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
- **अनुच्छेद 31C:** इसमें दो प्रावधान शामिल थे:
  - यह कहता है कि कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 39 (B) और (C) में विनिर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की मांग की गई है, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार अमान्य घोषित नहीं होंगे।
  - इसके अतिरिक्त कोई भी कानून जो यह घोषणा करे कि यह ऐसी नीति को प्रभावित करने हेतु है, उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह ऐसी नीति को प्रभावित नहीं करता है।

**संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)**

अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है।
यह एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये उपायों का अधिकार प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएँ हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता।

**अनुच्छेद 33, 34 और 35**

- **अनुच्छेद 33:** यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधित कर सके।
- इस प्रावधान का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना है।
- अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है न कि राज्य विधानमंडल को।
- संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- सैन्य बलों के सदस्यों की अभिव्यक्ति का अभिप्राय है इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी आदि का कार्य करते हैं।

- **अनुच्छेद 34:** यह मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। 'मार्शल लॉ' के सिद्धांत को ब्रिटिश कानून से लिया गया है। हालाँकि 'मार्शल लॉ' की व्याख्या संविधान में नहीं की गई, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है, 'सैन्य शासन'।
  - मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियाँ जैसे- युद्ध, अशांति, दंगा या कानून का उल्लंघन आदि स्थिति में लागू किया जाता है।
  - अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे, संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है।
  - संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
- **अनुच्छेद 35:** यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिये कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है।

**संसद के पास निम्नलिखित मामले में कानून बनाने का अधिकार:**
- किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोज़गार या नियुक्ति के लिये निवास की व्यवस्था।
- मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिये निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सशक्त बनाना।
- सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध।
- किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किये गए किसी भी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना।
- अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है, यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल (यानी राज्य सूची) के पास भी होते हैं।

## 9. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

**परिचय**
- **पृष्ठभूमि:** राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है जहाँ से यह आयरिश संविधान में आया था।
  - DPSP की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है।
  - इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिये सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।
- **मौलिक अधिकार बनाम DPSP:**
  - मौलिक अधिकारों (FRs) के विपरीत DPSP का दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है।
  - DPSP में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिये नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।
  - मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं क्योंकि वे राज्य पर सीमाएँ आरोपित करते हैं।
  - दूसरी ओर निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं, DPSP कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
  - यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि DPSP और मौलिक अधिकार साथ-साथ चलते हैं।
  - DPSP मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है।
- **सिद्धांतों का वर्गीकरण:** निदेशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं:
  - समाजवादी सिद्धांत
  - **गांधीवादी सिद्धांत**
  - **उदार और बौद्धिक सिद्धांत**

**समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश:**
- **अनुच्छेद 38:** राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 39:** राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा:
  - सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।
  - भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिये व्यवस्थित करना।

- कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना।
- पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन।
- श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा।
- बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना ।

- **अनुच्छेद 41:** बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना।
- **अनुच्छेद 42:** राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करेगा।
- **अनुच्छेद 43:** राज्य सभी कामगारों के लिये निर्वाह योग्य मज़दूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 43A**: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राज्य कदम उठाएगा।
- **अनुच्छेद 47:** लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना।

**गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश:**
- **अनुच्छेद 40:** राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिये कदम उठाएगा।
- **अनुच्छेद 43:** राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 43B:** सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- **अनुच्छेद 46:** राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।
- **अनुच्छेद 47:** राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा।
- **अनुच्छेद 48:** गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिये।

**उदार-बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश:**
- **अनुच्छेद 44:** भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना।
- **अनुच्छेद 45:** सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना।
- **अनुच्छेद 48:** कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।
- **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना।
- **अनुच्छेद 49:** राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना।
- **अनुच्छेद 50:** राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये कदम उठाना।
- **अनुच्छेद 51:** यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा:
  - राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना।
  - अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिये सम्मान को बढ़ावा देना।
  - मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना।

**DPSP में संशोधन:**
- **42वाँ संविधान संशोधन, 1976:** इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग-IV में कुछ बदलाव किये गए:
- **अनुच्छेद 39A:** गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।
- **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
- **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना।
- **44वाँ संविधान संशोधन, 1977:** इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया जो घोषित करता है कि "राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।"
- इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया।
  - **वर्ष 2002 का 86वाँ संशोधन अधिनियम:** इसने अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया।

**मौलिक अधिकारों और DPSP के मध्य संघर्ष: संबद्ध मामले**
- **चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1951):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य होगा।
  - इसने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिये और उन्हें सहायक के रूप में कार्य करना चाहिये।
  - इसने यह भी माना कि संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 1967):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिये भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
  - यह 'शंकरी प्रसाद मामले' में अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत था।

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (वर्ष 1973):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ (1967) के अपने फैसले को खारिज़ कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी "मूल संरचना" को बदल नहीं सकती है।
  - इस प्रकार, संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
- **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह संविधान के "मूल ढाँचे" को नहीं बदल सकती है।

**DPSP का कार्यान्वयन: संबद्ध अधिनियम और संशोधन:**

- **भूमि सुधार:** समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिये लगभग सभी राज्यों ने भूमि सुधार कानून पारित किये हैं। इन उपायों में शामिल हैं:
  - ज़मींदारों, जागीरदारों, इनामदारों जैसे बिचौलियों का उन्मूलन।
  - किरायेदारी व्यवस्था में सुधार जैसे- कार्यकाल की सुरक्षा, उचित किराया आदि।
  - भूमि जोत पर सीलिंग का अधिरोपण।
  - भूमिहीन मज़दूरों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण।
  - सहकारी खेती।
- **श्रम सुधार:** समाज के श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिये निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए थे।
  - न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (वर्ष 1948), श्रम संहिता, 2020
  - अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम (वर्ष 1970)
  - बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम (वर्ष 1986), वर्ष 2016 में बाल एवं किशोर श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम, 1986 के रूप में पुनर्निर्मित।
  - बंधुआ मज़दूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम (वर्ष 1976)
  - खनन और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
  - महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये मातृत्व लाभ अधिनियम (वर्ष 1961) और समान पारिश्रमिक अधिनियम (वर्ष 1976) बनाया गया है।
- **पंचायती राज व्यवस्था:** 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया।
- देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर त्रिस्तरीय 'पंचायती राज प्रणाली' शुरू की गई थी।
- **कुटीर उद्योग:** अनुच्छेद 43 के अनुसार, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने कई बोर्ड स्थापित किये हैं जैसे- ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, कॉयर बोर्ड आदि, जो कुटीर उद्योगों को वित्त एवं विपणन में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।
- **शिक्षा:** सरकार ने अनुच्छेद 45 में दिये गए प्रावधान के अनुसार, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू किया है।
- इसे 83वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया एवं इसके पश्चात् शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।
- **ग्रामीण क्षेत्र का विकास:** सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (वर्ष 1978-79) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा- वर्ष 2006) जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये शुरू किये गए थे। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है।
- **स्वास्थ्य:** केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ जैसे- प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना (PMGSY) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM) को भारतीय राज्य के सामाजिक क्षेत्र की ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिये लागू किया जा रहा है।
- **पर्यावरण:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को क्रमशः वन्यजीवों एवं वनों की सुरक्षा के लिये अधिनियमित किया गया है।
- जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के लिये प्रावधान किया है।
- **विरासत संरक्षण:** प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल व अवशेष अधिनियम (वर्ष 1958) राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिये अधिनियमित किया गया है।

## 10. मौलिक कर्तव्य

| अनुच्छेद 51(क) | भाग 4(क)<br>**मौलिक कर्तव्य** |
|---|---|
| | **(a)** प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें; |
| | **(b)** स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे; |
| | **(c)** भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ; |
| | **(d)** देश की रक्षा करे; |
| | **(e)** भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे; |
| | **(f)** हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे; |
| | **(g)** प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे; |
| | **(h)** वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे; |
| | **(i)** सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे; |
| | **(j)** व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे; |
| | **(k)** माता-पिता या संरक्षक द्वार 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना. |

## 11. भारत के राष्ट्रपति

- भारत के राष्ट्रपति भारत राज्य के नाममात्र के प्रमुख होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय राज्य का प्रथम नागरिक भी माना जाता है।
- भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं भारत के महान्यायवादी के साथ-साथ संघ की कार्यकारिणी का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं।
- भारत के संविधान का भाग V अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भी आते हैं।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि 'भारत का एक राष्ट्रपति होगा'।

**राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ :**
**राष्ट्रपति की कतिपय कार्यपालिका शक्तियाँ जो संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत परिभाषित हैं-**

- संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी एवं इस संविधान के अनुरूप उनके द्वारा या तो प्रत्यक्ष रुप से अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा।
- पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी एवं उसके प्रयोग को विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा।
- इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी –
  - किसी भी राज्य या अन्य प्राधिकरण की सरकार पर किसी वर्तमान विधि द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने के लिए नहीं समझा जाएगा; अथवा
  - संसद को विधि के अनुसार राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को कोई कार्य सौंपने से निवारित नहीं करेगी।

**भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां:**

- राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) की नियुक्ति तथा उन्हें प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण करने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रपति यह कार्य मंत्रिपरिषद ( काउंसिल आफ मिनिस्टर्स/सीओएम) की सहायता एवं परामर्श पर करते हैं।
- वह निम्नलिखित प्राधिकारियों की नियुक्ति करते हैं:
  - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल /CAG)
  - मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त
  - संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य

- राज्यों के राज्यपाल
- भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- अंतर्राज्यीय परिषद
- केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक

**मंत्रिपरिषद के साथ संचार**

- भारत के राष्ट्रपति केंद्र सरकार से प्रशासनिक सूचनाओं की अपेक्षा कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति को किसी भी मामले को , जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, को मंत्री परिषद के विचार हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर सकते हैं।
- वह प्रधान मंत्री से संघ के मामलों के प्रशासन एवं विधान के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकते हैं।

**अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित**

- वह किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं एवं उनके पास अधिसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियां हैं।

**राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां**

**संसदीय कामकाज से संबंधित**

- भारत के राष्ट्रपति को संसद को आहूत करने अथवा सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- **संसद की संयुक्त बैठक:** गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करते हैं।
- **संसद को संयुक्त अभिभाषण:** राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में भारतीय संसद को संबोधित भी करते हैं।
- **नियुक्तियाँ:** भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करते हैं-
  - लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, एवं
  - राज्यसभा के सभापति/उपसभापति
- नामनिर्देशन की शक्तियां:
  - **राज्य सभा:** वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को नाम निर्देशित/मनोनीत करते हैं
- **सांसदों की निरर्हताएं:** राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर सांसदों की निरर्हता के प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं।
- **कुछ विधेयकों को पूर्व स्वीकृति:** वह कुछ प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने की सिफारिश/अनुमति प्रदान करते हैं जैसे-
  - धन विधेयक
  - किसी राज्य की सीमा का निर्माण/परिवर्तन
  - कुछ प्रकार के वित्तीय विधेयक
- **अध्यादेश निर्मित करने की शक्ति:** संसद के एक या दोनों सदनों के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है।
- **संसद में रिपोर्ट रखना:** भारत के राष्ट्रपति संसद के समक्ष कुछ रिपोर्ट भी रखते हैं । ये रिपोर्ट्स निम्नलिखित से संबंधित होते हैं-
  - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
  - संघ लोक सेवा आयोग
  - वित्त आयोग, इत्यादि।

**राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ**

- **धन विधेयक:** लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- **वार्षिक बजट की प्रस्तुति:** वह केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखते हैं
- **भारत की आकस्मिक निधि का प्रशासन:** भारत की आकस्मिक निधि को भारत के राष्ट्रपति के समग्र नियंत्रण में प्रशासित की जाती है।

**राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ**

**क्षमादान की शक्ति:** संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, उन्हें संघ की विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दंड, सैन्य न्यायालय (मार्शल कोर्ट) द्वारा सजा अथवा मृत्युदंड के लिए क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।

- राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, प्रविलंबन, स्थगन अथवा दंड से छूट देने अथवा दंड को निलंबित करने, परिहार करने या लघुकरण की शक्ति होगी –
  - सभी मामलों में जहां दंड कोर्ट मार्शल द्वारा है;
  - सभी मामलों में जहां दंड किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, जिस पर संघ की कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार होता है;
  - सभी मामलों में जहां दंड मृत्यु दंड है।

**राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ**

- अंतर्राष्ट्रीय संधियों कथा समझौतों को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है एवं भारत के राष्ट्रपति के नाम पर समझौते किए जाते हैं एवं अंतिम रूप प्रदान किए जाते हैं।
- वह अंतरराष्ट्रीय मंचों तथा मामलों में भारत के प्रतिनिधि होते हैं।

**राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ**

भारत के राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति (कमांडर) होते हैं। उन्हें निम्नलिखित की नियुक्ति का दायित्व सौंपा गया है-

- थल सेना प्रमुख
- नौसेना प्रमुख
- वायु सेना प्रमुख
- रक्षा बलों के प्रमुख

**राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ**

भारतीय संविधान में दी गई तीन प्रकार की आपात स्थितियां भारत के राष्ट्रपति के नाम पर लगाई जाती है-

- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
- राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 एवं 365)
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

# 12. भारत के उपराष्ट्रपति

- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग V में अध्याय। ( कार्यपालिका) के अंतर्गत किया गया है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है।
  - संविधान के अनुच्छेद 63-73 भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हता, निर्वाचन तथा पदच्युति से संबंधित हैं।
- **संवैधानिक स्थिति:** भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
- **वर्तमान उपराष्ट्रपति:** मुप्पवरपु वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति हैं।

**उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं**

- उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
  - यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तिथि को रिक्त कर दिया है जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।
- कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह-
  - भारत का नागरिक हो;
  - पैंतीस वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो; तथा
  - राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अर्ह है।
- एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है-
  - भारत सरकार या
  - किसी भी राज्य की सरकार या
  - उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन कोई भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण।
- **टिप्पणी:** इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या किसी राज्य का मंत्री है ।

**भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन**

- **अर्ह मतदाता:** उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
- **टिप्पणी:** संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य (लोकसभा एवं राज्यसभा) उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।
- **निर्वाचन की रीति:** भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है।
- भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान की प्रक्रिया द्वारा होगा।

**भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद**

| भारत के उपराष्ट्रपति [अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71] | |
|---|---|
| **अनुच्छेद 63** | भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। |
| **अनुच्छेद 64** | उपराष्ट्रपति राज्यसभा (राज्यों की परिषद) का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। |
| **अनुच्छेद 65** | उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। |
| **अनुच्छेद 66** | उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। |
| **अनुच्छेद 67** | उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। |
| **अनुच्छेद 68** | उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा।<br>उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा। |
| **अनुच्छेद 69** | प्रत्येक उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। |
| **अनुच्छेद 70** | अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। |
| **अनुच्छेद 71** | राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित मामले। |

## 13. प्रधानमंत्री

संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख (De Jure Executive)होता है, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में (De Facto Executive) में निहित होती है।

**प्रधानमंत्री की नियुक्ति**

- संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन व नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है।
- अनु० – 75 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा।
- संसद में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति अपने स्व: विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है । वह सबसे बड़े दल का नेता या गठबंधन को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित व उन्हें 1 माह के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है।

**Note:**
1984 में इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया।

**कार्य व शक्तियां**

**1) मंत्रिपरिषद के संबंध में**

- प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है।
- मंत्रियो की नियुक्ति व उनमे विभन्न मंत्रालयों का आवंटन व परिवर्तन।
- प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर मंत्रीपरिषद् भी समाप्त हो जाती है।

**2) राष्ट्रपति के संबंध में**

- राष्ट्रपति व मंत्रीपरिषद् के मध्य संवाद की मुख्य कमी है।
- प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी सलाह देता है। जैसे — भारत के महान्यायवादी (Attorney General) , महानियंत्रक व लेखा परीक्षक (CAG), संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष व उसके अन्य सदस्य , चुनाव आयुक्तों (Election commissioners), वित्त आयोग (Finance Commission) का अध्यक्ष व उसके सदस्यों के नियुक्ति संबंधी सलाह किया जाता है।

**3) संसद के संबंध में**

- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है।
- लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है।
- प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोसना करता है।

**4) अन्य प्रमुख शक्तियां**

- प्रधानमंत्री , नीति आयोग (Planning Commission) , राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) , राष्ट्रीय एकता परिषद् (National Integration Council) , अंतर्राज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् (Inter-State Council and National Water Resources Council) का अध्यक्ष होता है ।
- तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।
- आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है।
- प्रधानमंत्री विदेश नीति में भी मतवपूर्ण भूमिका निभाता है।

**भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची (List of all Prime Ministers of India 1947-2022)**

| नाम | ऑफिस | टिप्पणी |
|---|---|---|
| **1. जवाहर लाल नेहरू** | 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964<br>**16 साल, 286 दिन** | भारत के पहले प्रधानमंत्री और **सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति।** |
| **2.** गुलजारी लाल नंदा | 27 मई 1964 से 9 जून 1964<br>**13 दिन** | **पहले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे।** |
| **3.** लाल बहादुर शास्त्री | 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966<br>**1 वर्ष, 216 दिन** | इन्होंने 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय "जय जवान जय किसान" नारा दिया था। |
| (2). गुलजारी लाल नंदा | 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966<br>**13 दिन** | |
| **4.** इंदिरा गांधी | 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977<br>**11 साल, 59 दिन** | भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। |
| **5.** मोरारजी देसाई | 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979<br>**2 साल, 126 दिन** | **सबसे वृद्ध (81वर्ष) प्रधानमन्त्री और पद से इस्तीफ़ा देने वाले पहले प्रधानमंत्री।** |
| **6.** चरण सिंह | 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980<br>**170 दिन** | अकेले ऐसे पीएम जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। |
| (4) इंदिरा गांधी | 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984<br>**4 साल, 291 दिन** | प्रधानमंत्री पद दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला। |
| **8. राजीव गांधी** | 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989<br>**5 साल, 32 दिन** | **सबसे युवा प्रधानमन्त्री (40 वर्ष)।** |
| **9**. विश्वनाथ प्रताप सिंह | 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990<br>**343 दिन** | **पहले PM जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था।** |
| **10.** चंद्रशेखर | 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991<br>**223 दिन** | समाजवादी जनता पार्टी से सम्बंधित। |
| **11.** पी. वी. नरसिम्हा राव | 21 जून 1991 से 16 मई 1996<br>**4 साल, 330 दिन** | **दक्षिण भारत से पहले PM।** |
| **12.** अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई 1996 से 1 जून 1996<br>**16 दिन** | केवल 1 वोट से सरकार गिरी थी। |
| **13.** एच. डी. देव गौड़ा | 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997<br>**324 दिन** | जनता दल से सम्बंधित थे। |
| **14.** इंदर कुमार गुजराल | 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998<br>**332 दिन** | व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें PM। |
| **16.** मनमोहन सिंह | 22 मई 2004 से 26 मई 2014<br>**10 साल, 2 दिन** | पहले सिख प्रधानमन्त्री। |
| **17. नरेंद्र मोदी** | 26 मई 2014 से अब तक | दूसरे गुजराती PM, पहले मोरारजी थे। चौथे PM हैं जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। |

# 14. मंत्रिपरिषद

**परिचय :**

- संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, ज़िम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है।
- मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है।
  - कैबिनेट मंत्री: ये केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे-गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण निकाय है।
  - राज्य मंत्री: इन्हें या तो मंत्रालयों/विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध किया जा सकता है।
  - उप मंत्री: ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं।
- कभी-कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से की जाती है।

**संवैधानिक प्रावधान:**

- अनुच्छेद 74 (राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिये मंत्रिपरिषद): मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जाँच नहीं की जाएगी।
  - राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिये मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- अनुच्छेद 75 (मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान): प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
  - मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
  - यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
  - मंत्रियों के लिये यह ज़रूरी है कि वे संसद के सदस्य हों, यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे छः महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा, ऐसा न हो पाने की स्थिति में उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।
- अनुच्छेद 77 (भारत सरकार के कार्यों का संचालन): राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिये नियम बनाएगा।
- अनुच्छेद 78 (प्रधानमंत्री के कर्तव्य): मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना।
- अनुच्छेद 88 (सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार): प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति, जिसका वह सदस्य नामित किया जा सकता है, की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

**मंत्रियों के उत्तरदायित्व:**

- **सामूहिक उत्तरदायित्व:**
  - अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लिये लोकसभा के प्रति संयुक्त रुप से ज़िम्मेदार हैं।

- **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:**
  - अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।
  - हालाँकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है।

- **राज्यों में मंत्रिपरिषद:**

- अनुच्छेद 163 केंद्र में मंत्रिपरिषद के समान राज्यों में मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यों का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 163: राज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिये COM) और अनुच्छेद 164: मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान)।

# 15. कैबिनेट

**परिचय**

मूल संविधान में विशेष रूप से कैबिनेट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और यह किस पर आधारित है?

- ब्रिटेन की समझ और परंपराएं। संविधान के अनुच्छेद 74 में केवल मंत्रिपरिषद का प्रावधान है और
- कैबिनेट का जिक्र नहीं यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से कैबिनेट शब्द था
- अनुच्छेद 352 के तहत इस्तेमाल किया गया था। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं। की परिषद
- मंत्रियों का एक आंतरिक निकाय होता है जिसे कैबिनेट कहा जाता है। यह मंत्रिपरिषद के नाम से कार्य करता है और सभी का प्रयोग करता है
- परिषद के कार्य। यह कानून के साथ-साथ प्रशासन में सरकार का केंद्रीय निर्देशन साधन है। यह
- इसमें 15-18 सदस्य होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ और वास्तव में परिषद के सबसे प्रभावी मंत्री होते हैं।

**महत्वपूर्ण बिंदु**

- यह मंत्रिमंडल है जो संसद को नियंत्रित करता है और देश को नियंत्रित करता है।
- कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जबकि राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं
- जब उनके विभाग से संबंधित मामलों पर चर्चा की जानी है।
- नीतियों के प्रमुख प्रश्नों का निर्णय मंत्रिमंडल करता है। इसके निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं।
- विभिन्न सरकारी विभाग कानून को प्रशासित करके और संसद द्वारा कानून के रूप में अधिनियमित करने के उपायों को तैयार करके कैबिनेट के नीतिगत निर्णयों को पूरा करते हैं।
- उच्च-रैंकिंग नियुक्तियां, जैसे संवैधानिक प्राधिकरण और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासक, कैबिनेट के नियंत्रण में हैं।
- मंत्रिमंडल सभी अंतरराष्ट्रीय नीति और मामलों का प्रभारी है।
- राष्ट्रपति को सलाह देने वाला मंत्रिपरिषद न कि मंत्रिपरिषद है, उसकी सलाह उसके लिए बाध्यकारी है।
- कैबिनेट की संरचना लचीली है। समय-समय पर प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल की संरचना का निर्धारण करना होता है, हालांकि कुछ विभागों के सापेक्ष महत्व के कारण, उनके मंत्री अनिवार्य रूप से इसके सदस्य होते हैं।
- कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों का चयन करता है। राष्ट्रपति को केवल प्रधान मंत्री की सिफारिशों को स्वीकार करना होता है। राष्ट्रपति को अपने द्वारा चुनी गई टीम को स्वीकार करना होता है।
- कैबिनेट मंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह छह महीने के बाद मंत्री नहीं रहेगा, जब तक कि इस बीच मंत्री को छह महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन के लिए खुद को निर्वाचित नहीं करवाना पड़े। .
- साथ ही, यदि किसी संसद सदस्य को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो वह मंत्री बनने के योग्य नहीं होगा। लेकिन अगर वह अगले नए संसदीय चुनाव में फिर से निर्वाचित हो जाता है तो वह मंत्री बनने के योग्य होगा।

**मंत्रिमंडल का कार्यकाल**

- कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनकी मर्जी पर बने रहते हैं। यह तभी कुछ दर्शाता है जब उन्हें लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता रहे। किसी भी मंत्री को किसी भी समय प्रधान मंत्री द्वारा इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है, और बाद वाले को इसका पालन करना चाहिए।
- प्रधान मंत्री के पास राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री की बर्खास्तगी का सुझाव देने का अधिकार होता है, और राष्ट्रपति हमेशा उनकी सलाह का पालन करता है। जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद उसके साथ इस्तीफा दे देती है।
- नतीजतन, मंत्रालय या मंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। एक मंत्रालय/प्रत्येक मंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि लोकसभा में बहुमत को उस पर भरोसा है, या जब तक प्रधान मंत्री पद नहीं छोड़ते हैं।
- एक मंत्री के पद पर रहने की अधिकतम अवधि पांच वर्ष या एक पूर्ण लोकसभा कार्यकाल है।

**शक्ति**

- मंत्रिमंडल का प्राथमिक कार्य देश के सुशासन के लिए सरकार की नीतियों को तैयार करना है, क्या इसे विधायिका द्वारा स्वीकार किया गया है और संविधान और कानूनों के अनुसार राज्य के कार्यकारी कार्यों को पूरा करना है।
- राष्ट्रपति की सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है।
- यह लोगों के लिए बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करने के लिए नीतियां भी बनाती है।
- मंत्रिमंडल उन नीतियों को विकसित करता है जिन्हें अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।
- कैबिनेट विदेश नीति तैयार करने के साथ-साथ देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सभी घरेलू नीतियों का प्रभारी है।
- केवल कैबिनेट की मंजूरी से ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
- जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो कैबिनेट राष्ट्रपति के अध्यादेशों का प्रभारी भी होता है।
- वे विधायी प्रक्रिया में पूरी तरह और सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

- वे ही हैं जो अधिकांश विधेयकों को पेश करते हैं और उनका संचालन करते हैं।
- मंत्रिमंडल का राष्ट्रीय वित्त पर भी नियंत्रण होता है।
- कैबिनेट सरकार के सभी खर्चों के साथ-साथ आवश्यक राजस्व जुटाने के लिए जिम्मेदार है।
- संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट द्वारा लिखा जाता है।
- राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर संसद सत्र बुलाते हैं, जो उन्हें प्रधान मंत्री के माध्यम से प्राप्त होता है।
- कैबिनेट संसदीय सत्रों के लिए एजेंडा तैयार करने का भी प्रभारी है।

**कैबिनेट बैठकें**
- मंत्रिमंडल, सामान्यतया, सप्ताह में एक बार और अवसर की मांग पर अधिक बार बैठक करता है।
- प्रधानमंत्री अपनी बैठक को आगे बढ़ाता है।
- लेकिन यदि प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए शहर से बाहर रहता है, तो एक वरिष्ठ मंत्री, जिसे स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है, एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करता है।
- बैठक समाप्त होने के बाद, कैबिनेट सचिव, जो उपस्थित रहता है, एक सारांश तैयार करता है और उसमें लिए गए निर्णयों को शामिल करता है।

**मंत्रिमंडल की स्थिति**
- कैबिनेट को सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के अधीन, कोई अन्य प्राधिकरण कैबिनेट के रूप में शक्तिशाली नहीं है। इन सभी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है।
- मंत्रिमंडल का प्रशासन में प्रमुख स्थान है।
- सभी नीतियों के निर्माता, प्रशासन के निदेशक और सरकारी गतिविधि के सर्वोच्च समन्वयक के रूप में, मंत्रिमंडल सरकार का कुशल हिस्सा है।
- यह वास्तव में राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है। यह सत्ता का केंद्र और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की सबसे शक्तिशाली संस्था है।

**किचन कैबिनेट**

मंत्रीपरिषद 60 से 70 मंत्रियों से मिलकर बनने वाला एक निकाय होता है जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं. किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र 4 से 5 लोग होते हैं जिनसे वह हर समय चर्चा करता है. किचन कैबिनेट में जनता द्वारा चुने गए सांसदों के अलावा वे लोग भी शामिल होते हैं जो कि जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं. अर्थात इसमें कैबिनेट मंत्रियों के अलावा प्रधानमन्त्री के मित्र व परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं. किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट, प्रधानमन्त्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है. किचन कैबिनेट को आंतरिक कैबिनेट भी कहा जाता है.

आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट का किसी भी प्रकार का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है लेकिन यह कैबिनेट पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरु के समय से चली आ रही है. जवाहर लाल नेहरु की किचन कैबिनेट में सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोपालस्वामी अयंगार, रफी अहमद किदवई शामिल थे.

इंदिरा गाँधी के समय की किचन कैबिनेट में बहुत ही शक्तिशाली थी. इसी समय से आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाने लगा था. इंदिरा की किचन कैबिनेट में उमा शंकर दीक्षित, वाई वी.चव्हाण, डॉ कर्ण सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग शामिल थे.

अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और प्रमोद महाजन जैसे कद्दावर लोग शामिल थे.

**कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में अंतर –**
- मंत्रिपरिषद अपेक्षाकृत एक बड़ा निकाय है, जबकि कैबिनेट छोटा परंतु शक्तिशाली निकाय है। सभी मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है, जबकि कैबिनेट में शीर्ष के 15-20 मंत्री होते हैं।
- कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी होते हैं। मंत्रिपरिषद तीन भागों में विभक्त है- कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद से सबंधित प्रावधान विस्तार में हैं, जबकि कैबिनेट का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
- नीति-निर्माण का कार्य प्रमुख रूप से कैबिनेट द्वारा किया जाता है न कि मंत्रिपरिषद द्वारा। कैबिनेट भारत में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च कार्यकारी है।
- कैबिनेट नीतियों पर निर्णय लेती है और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है। इसके विपरीत, मंत्रिपरिषद कैबिनेट के फैसलों को लागू करवाने में सहयोग देती है।

# 16. मंत्रिमंडलीय समितियाँ

**आठ मंत्रिमंडलीय समितियाँ:**

1) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति।
2) आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति।
3) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति।
4) संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति।
5) राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति।
6) केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति।
7) निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति।
8) रोज़गार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति।

- आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर सभी समितियों का नेतृत्त्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
- दूसरे शब्दों में उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। हालाँकि 'रूल ऑफ बिज़नेस' उनकी स्थापना के लिये प्रावधान करता है।
- भारत में कार्यपालिका भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली, 1961 के तहत काम करती है।
  - ये नियम संविधान के अनुच्छेद 77(3) से प्रेरित हैं। जिसमें कहा गया है कि "राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लिये नियम बनाएगा।"
- प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का गठन करता है और उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को निर्धारित करता है। वह समितियों की संख्या को बढ़ा या घटा सकता है।
  - समितियों के अलावा विभिन्न मुद्दों/विषयों को देखने के लिये मंत्रियों के कई समूह (GoMs) गठित किये जाते हैं।

**मंत्रिमंडलीय समितियों की भूमिका:**

- इन समितियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिये एक संगठनात्मक उपकरण के रूप में किया जाता है। वे नीतिगत मुद्दों की गहन जाँच और प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करती हैं। ये समितियाँ श्रम विभाजन एवं प्रभावी प्रतिनिधित्त्व के सिद्धांतों पर आधारित हैं।
- वे न केवल मुद्दों को हल करती हैं और मंत्रिमंडल के विचार के लिये प्रस्ताव तैयार करती हैं, बल्कि महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लेती हैं, हालाँकि मंत्रिमंडल इनके फैसलों की समीक्षा कर सकती है।

**मंत्री समूह (GoM):**

- ये कुछ आकस्मिक मुद्दों और महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर मंत्रिमंडल को सिफारिशें देने के लिये गठित तदर्थ निकाय हैं।
- इनमें से कुछ GoMs को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि अन्य केवल मंत्रिमंडल को सिफारिशें देते हैं।
  - ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का एक व्यवहार्य और प्रभावी साधन बन गया है।
- संबंधित मंत्रालयों का नेतृत्त्व करने वाले मंत्रियों को संबंधित GoMs में शामिल किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात् उन्हें भंग कर दिया जाता है।

Pram Ias

# 17. भारत का महान्यायवादी

**परिचय:**

- भारत का महान्यायवादी (AG) संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। AG देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है।
- संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है।

- **नियुक्ति और पात्रता:**
  - महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है।
  - वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, अर्थात् वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का पाँच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।

- **कार्यालय की अवधि:** संविधान द्वारा तय नहीं।

- **निष्कासन:** महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है)।

- **कर्तव्य और कार्य:**
  - ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार (Government of India- GoI) को सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं।
  - कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं।
    - भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित हैं, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना।
    - संविधान के अनुच्छेद 143 (सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किये गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
  - संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना।

- **अधिकार और सीमाएं:**
  - वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है।
  - वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं।
  - वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, अत: उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है।
  - हालाँकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है।

- **भारत के सॉलिसिटर जनरल** (Solicitor General of India) और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) आधिकारिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करते हैं।
- **महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165):** राज्यों से संबंधित ।

# 18. संसद

**परिचय:**

- **सर्वोच्च विधायी निकाय:** संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है।
  - यह सरकार के संसदीय स्वरूप (सरकार के 'वेस्टमिंस्टर' मॉडल) को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रमुख और केंद्रीय स्थान रखता है।
  - **पहली संसद:** भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 के दौरान हुआ था और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी।
  - **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के भाग V में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित हैं।
  - **संसदीय पैटर्न:** भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिकी पैटर्न के बजाय संसद के लिये ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया था।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं है, जबकि भारत में विधायिका का अभिन्न अंग है।

**संसद के अंग:**

**राज्यसभा (राज्यों की परिषद):**

- यह उच्च सदन (द्वितीय सदन) है और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।
- राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है।
- भारतीय संविधान की अनुसूची IV राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।

- **संरचना:** राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होए हैं (अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए) और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
  - वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं 4 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किये गए हैं।

- **प्रतिनिधियों का चुनाव:** राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  - राज्यसभा में प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधि इस उद्देश्य के लिये विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
  - केवल तीन केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, पुद्दुचेरी और जम्मू-कश्मीर) का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है।
  - राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है।
  - इसके पीछे तर्क यह है कि बिना चुनाव हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदन में जगह दी जाए।

- **कार्य:** लोकसभा द्वारा शुरू किये गए कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें बदलने में राज्यसभा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
  - यह कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और कानून बनाने के लिये राज्यसभा से एक विधेयक पारित करने की आवश्यकता होती है।

- **शक्ति:**
  - **राज्य से संबंधित मामले:** राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इसलिये राज्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले को उसकी सहमति और अनुमोदन के लिये उसके पास भेजा जाना चाहिये।
  - यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना/स्थानांतरित करना चाहती है, तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है।

- **लोकसभा (लोगों का सदन):**
  - यह निचला सदन (प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन है और समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।
  - **संरचना:** लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।
    - वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    - इससे पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को भी नामित किया था, लेकिन 95वें संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था।
  - **प्रतिनिधियों का चुनाव:** राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
    - केंद्रशासित प्रदेश (लोगों के सदन का प्रत्यक्ष चुनाव) अधिनियम, 1965 के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
  - **कार्य:** लोकसभा के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यपालिका का चयन करना है, व्यक्तियों का एक समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिये मिलकर कार्य करता है।

- जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो कार्यपालिका अक्सर हमारे दिमाग में आती है।
- **शक्तियाँ:**
  - **संयुक्त बैठक में निर्णय:** किसी भी सामान्य कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है।
  - हालाँकि दोनों सदनों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाकर अंतिम निर्णय लिया जाता है।
  - अधिक संख्या में होने के कारण ऐसी बैठक में लोकसभा की राय प्रबल होने की संभावना है।
- **धन से जुड़े मामलों में शक्ति:** धन से जुड़े मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं। एक बार जब लोकसभा सरकार का बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है, तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है।
  - राज्यसभा इसमें केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है, हालाँकि लोकसभा इन परिवर्तनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है।
- **मंत्रिपरिषद से जुड़ी शक्ति:** लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है।
  - यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य मंत्रिपरिषद में 'अविश्वास' जाहिर करते हैं तो तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा।
  - राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं है।

**राष्ट्रपति**

- भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता है, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग है।
- वह राष्ट्र का मुखिया होता है और देश में सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होता है।
- **नियुक्ति:** संसद के निर्वाचित सदस्य (सांसद) और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (विधायक) भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
- **शक्तियाँ:**
  - **किसी विधेयक को कानून बनाने की स्वीकृति:** संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता।
  - **सदनों का समन और सत्रावसान:** उसके पास दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान करने, लोकसभा को भंग करने तथा सदनों के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।

**संसद की सदस्यता:**

- **योग्यता:**
  - **राज्यसभा:** वह भारत का नागरिक होना चाहिये और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिये।
    - उसे यह कहते हुए शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिये कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा।
    - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, उसे उस राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिये, जहाँ से वह राज्यसभा के लिये चुनाव की मांग कर रहा है।
    - हालाँकि वर्ष 2003 में यह घोषणा करते हुए एक प्रावधान किया गया था कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी अन्य राज्य में रहता हो।
  - **लोकसभा:** उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
    - उसे शपथ या प्रतिज्ञान के माध्यम से घोषित करना चाहिये कि वह संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखता है तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा।
    - उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएँ होनी चाहिये जो संसद ने कानून द्वारा निर्धारित की हैं और उसे भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिये।
    - आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जिसके लिये भी आरक्षण लागू होता हो, से संबंधित होना चाहिये।

- **अयोग्यताएँ:**
  - **संवैधानिक आधार पर:**
    - यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत **लाभ का कोई पद** धारण करता है ( मंत्री या संसद द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य कार्यालय को छोड़कर)।
    - यदि वह विकृत मानसिकता का है और अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
    - यदि वह घोषित दिवालिया है।
    - यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।
    - यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है।
  - **वैधानिक आधार पर (जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951):**
    - यदि चुनाव में कुछ चुनावी अपराधों/भ्रष्ट आचरणों का दोषी पाया गया।
    - किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया जिसके परिणामस्वरूप दो या अधिक वर्षों के लिये कारावास हो (निवारक निरोध कानून के तहत निरोध अयोग्यता नहीं है)।
    - भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति वफादारी न करने के लिये सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो।
    - विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वतखोरी के अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।

- अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार और अभ्यास के लिये दंडित किया गया हो।

- **कार्यकाल:**
  - **राज्यसभा:** राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का छह वर्ष का सुरक्षित कार्यकाल होता है। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। वे सदस्यता के लिये फिर से चुनाव लड़ने के हकदार हैं।
  - **लोकसभा:** लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर पाँच साल की समाप्ति से पहले इसे भंग किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है लेकिन यह आपातकाल समाप्त होने के बाद छह महीने से अधिक नहीं होगा।

- **अधिकारी:**
  - **राज्यसभा:** भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
    - उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति (सदस्यों द्वारा आपस में से निर्वाचित) सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है।
  - **लोकसभा:** लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है।
    - वह लोकसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहता है, जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर एक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेता।
    - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष (सदन द्वारा निर्वाचित) बैठकों की अध्यक्षता करता है।

- **संसद की शक्तियाँ/कार्य:**
  - **विधायी कार्य:** केवल संसद ही संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडलों के साथ संसद को समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है।
    - जिन विषयों का किसी सूची में उल्लेख नहीं है, उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं।
  - **वित्तीय कार्य:** यह जनता के धन का संरक्षक है। सरकार संसद की मंज़ूरी के बिना न तो जनता पर कोई कर लगा सकती है और न ही पैसा खर्च कर सकती है।
    - बजट को हर साल संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
  - **चुनावी कार्य:** यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है।
    - लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है तथा राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है।
  - **पदच्युत करने की शक्ति:** कुछ उच्च पदाधिकारियों को संसद की पहल पर पद से हटाया जा सकता है।
    - यह संविधान के उल्लंघन के लिये महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकती है।
  - **संविधान में संशोधन:** संविधान के अधिकांश हिस्सों में संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है।
    - कुछ प्रावधानों में केवल राज्यों के अनुमोदन से संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
    - संसद संविधान के मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती है।
  - **कार्यपालिका शक्ति:** संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।
    - सरकार हमेशा इन प्रस्तावों को बहुत गंभीरता से लेती है क्योंकि सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती है और अंततः मतदाताओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का सामना सरकार को करना पड़ता है।

**संसद में नेता (Leaders in Parliament)**

- **सदन का नेता (Leader of the House):** लोकसभा के नियमों के अनुसार, 'सदन के नेता' से तात्पर्य प्रधान मंत्री (या प्रधान मंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिये नामित कोई अन्य मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है) से है।
  - राज्य सभा में भी 'सदन का नेता' होता है जो एक मंत्री और राज्य सभा का सदस्य होता है और इस तरह कार्य करने के लिये प्रधान मंत्री द्वारा इन्हें नामित किया जाता है।
  - वह कार्य संचालन पर सीधा प्रभाव डालता/डालती है।
  - सदन के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि सदन के नियमों में है।
- **विपक्ष के नेता/नेता प्रतिपक्ष (Leader of the Opposition)**: ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता/नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम दसवें हिस्से पर विजय हासिल की हो।
  - वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है।
  - दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं।
  - विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख **संविधान में नहीं** बल्कि संसदीय संविधि में है।
- **सचेतक (Whip):** प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष, का संसद में अपना स्वयं का व्हिप अथवा सचेतक होता है।
  - उसे राजनीतिक दल द्वारा एक सहायक पटल नेता के रूप में काम करने के लिये नियुक्त किया जाता है, जिस पर बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में या उसके खिलाफ उनका समर्थन हासिल करने की ज़िम्मेदारी होती है।

- वह संसद में उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है और उसकी निगरानी करता है तथा सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्हिप अथवा सचेतक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करें।
- 'व्हिप' के पद का उल्लेख न तो भारतीय संविधान में और न ही ऊपर वर्णित अन्य दो संविधियों में है। यह संसदीय सरकार की परिपाटियों पर आधारित है।

**संसद के सत्र (Sessions of Parliament)**

- **आमंत्रण पत्र भेजना (Summoning):**
  - इसमें संसद के सभी सदस्यों को सदन की बैठक हेतु समवेत होने के लिये आमंत्रण पत्र भेजा जाता है।
  - संसद को आहूत करना संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है।
  - राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करते हैं।
  - हालाँकि, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह महीने से अधिक नहीं हो सकता है।
- **सत्र (Sessions):**
  - भारत का कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के अनुसार, संसद की एक वर्ष में तीन बैठकें होती हैं।
    - **बजट सत्र**: सबसे लंबा सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक समाप्त होता है।
    - **मानसून सत्र:** दूसरा सत्र प्रायः जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है।
    - **शीतकालीन सत्र**: तीसरा सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है।
- **स्थगन (Adjournment):**
  - स्थगन एक निश्चित समय के लिये बैठक में कामकाज को निलंबित कर देता है। स्थगन कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिये हो सकता है।
  - जब बैठक अगली बैठक के लिये नियत किसी निश्चित समय/तिथि के बिना समाप्त हो जाती है तो इसे अनिश्चित काल के लिये स्थगन कहा जाता है।
  - स्थगन और अनिश्चित काल के लिये स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) के पास होती है।
- **सत्रावसान (Prorogation):**
  - स्थगन के विपरीत, सत्रावसान बैठक के साथ-साथ सदन के सत्र को भी समाप्त करता है।
  - यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
  - सत्रावसान (लोकसभा के) विघटन से अलग है।
- **गणपूर्ति (Quorum):**
  - गणपूर्ति से तात्पर्य सदन की बैठक आयोजित करने के लिये उपस्थित होने के लिये आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या से है।
  - संविधान ने निर्धारित किया है कि लोकसभा और राज्य सभा दोनों के लिये गणपूर्ति प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के दस प्रतिशत सदस्यों से होगी।
- **संसद का संयुक्त सत्र (Joint Session of Parliament):**
  - भारत का संविधान, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों के बीच किसी भी गतिरोध को तोड़ने के लिये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है।
  - संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
    - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
    - दोनों की अनुपस्थिति में, इसकी अध्यक्षता राज्य सभा के उपसभापति करते हैं।
- **लुंज-पुंज सत्र (Lame Duck Session):** इससे तात्पर्य एक नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र से है।
  - मौजूदा लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिये फिर से निर्वाचित नहीं हो सके, उन्हें लुंज-पुंज कहा जाता है।

## संसदीय कार्यवाही की युक्ति (Devices of Parliamentary Proceedings)

- **प्रश्नकाल (Question Hour):**
  - प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया जाता है।
  - इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं। प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं:
    - **तारांकित प्रश्न (Starred questions):** ये तारक से पहचाने जाते हैं और इनके लिये मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है इसलिये पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

    इन प्रश्नों की सूची हरे रंग के कागज पर छपी होती है।
    - **अतारांकित प्रश्न (Unstarred questions):** इसके लिये एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिये पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।

    सूचीबद्ध प्रश्न सफेद रंग में मुद्रित होते है।
    - **अल्प सूचना प्रश्न (Short notice questions):** इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों पर विचार किया जाता है।

ये दस दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं और इनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता हैं।
इन्हें हल्के गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित किया जाता है।

- **शून्यकाल (Zero Hour):**
  - **शून्यकाल** भारतीय संसदीय नवाचार है। संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है।
    - इसके तहत, संसद सदस्य (सांसद) बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं।
  - शून्यकाल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यावली (सदन का नियमित कार्य) शुरू नहीं हो जाती।
    - दूसरे शब्दों में, प्रश्नकाल और कार्यावली के बीच के समय के अंतराल को शून्य काल के रूप में जाना जाता है।

- **आधे घंटे की चर्चा (Half-an-Hour Discussion):**
  - यह पर्याप्त सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर चर्चा करने के लिये होती है, जिस पर बहुत बहस होती है और जिसके उत्तर में तथ्य पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
  - अध्यक्ष ऐसी चर्चा के लिये सप्ताह में तीन दिन आवंटित कर सकते हैं। सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है।

- **अल्पकालिक चर्चा (Short Duration Discussion):**
  - इसे दो घंटे की चर्चा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिये आवंटित समय दो घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये।
  - संसद के सदस्य अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर ऐसी चर्चा कर सकते हैं।
  - अध्यक्ष ऐसी चर्चा के लिये सप्ताह में दो दिन आवंटित कर सकते हैं। सदन के समक्ष न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होता है और न ही मतदान।
  - यह युक्ति वर्ष 1953 से अस्तित्व में है।

| **भारतीय संसद में प्रस्ताव (Motions in Indian Parliament)** | |
|---|---|
| **विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव** (**Breach of Privilege Motion**) | यह किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है, जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है।<br>इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। |
| **निन्दा प्रस्ताव (Censure Motion)** | इसे लोकसभा में अपनाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिये।<br>इसे किसी व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है।<br>यह विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिये मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।<br>इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। |
| **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling-Attention Motion)** | यह संसद में किसी सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्त्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर उससे एक आधिकारिक बयान मांगने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।<br>इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। |
| **स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)** | इसे लोकसभा में तत्काल सार्वजनिक महत्त्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।<br>इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्त्व शामिल होता है।<br>इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। |
| **अनियत-दिन-वाले प्रस्ताव (No-Day-Yet-Named Motion)** | यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है लेकिन इस पर चर्चा के लिये कोई तारीख तय नहीं की गई है।<br>इसे राज्यसभा के साथ-साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। |
| **अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion)** | संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।<br>दूसरे शब्दों में, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री को पद से हटा सकती है।<br>प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।<br>इसे **केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत** किया जा सकता है। |
| **धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks)** | प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है।<br>राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में 'धन्यवाद प्रस्ताव' नामक प्रस्ताव पर चर्चा होती है।<br>यह प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिये। नहीं तो सरकार गिर जाती है। |

| | |
|---|---|
| **कटौती प्रस्ताव (Cut Motions)** | कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों को दी गई एक विशेष शक्ति है। किसी अनुदान की राशि को कम करने अथवा एक निश्चित सीमा तक घटाने का प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है।<br>इसमें अनुदान माँग के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा वित्त विधेयक में विशिष्ट आवंटन के लिये चर्चा की जा रही मांग का विरोध किया जाता है।<br>यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक अविश्वास मत के बराबर होता है और यदि सरकार निचले सदन में संख्या बढ़ाने में विफल रहती है, तो वह सदन के मानदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के लिये बाध्य होती है।<br>निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से मांग की राशि को कम करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है:<br>**नीति निरनुमोदन कटौती प्रस्ताव:** यह इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए (यह मांग में निहित नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है)।<br>**मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव:** इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए।<br>**सांकेतिक कटौती प्रस्ताव:** इसे इसलिये प्रस्तुत किया जाता है ताकि मांग की राशि में 100 रुपये की कटौती की जा सके ( यह एक विशिष्ट शिकायत व्यक्त करता है)।<br>इसे **केवल लोकसभा में** ही प्रस्तुत किया जा सकता है। |
| **समापन प्रस्ताव (Closure Motion)** | यह सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम करने के लिये किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव होता है।<br>यदि प्रस्ताव को सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो बहस तुरंत रोक दी जाती है और मामले पर मतदान किया जाता है।<br>समापन प्रस्ताव चार प्रकार के होते हैं:<br>**साधारण समापन:** जब कोई सदस्य प्रस्ताव करता है कि 'इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है तो अब मतदान किया जाए'।<br>**खंडश: समापन:** इस मामले में, किसी विधेयक के खंड या एक लंबे संकल्प को बहस शुरू होने से पहले भागों में बांटा जाता है। बहस पूरे हिस्से को कवर करती है और पूरे हिस्से को वोट देने के लिये रखा जाता है।<br>**कंगारू समापन:** इस प्रकार के तहत, केवल महत्वपूर्ण खंड बहस और मतदान के लिये जाते हैं और बीच में आने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है।<br>**गिलोटिन समापन:** यह तब होता है जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या संकल्प के बिना चर्चा किये गए खंडों को भी चर्चा किये गए खंडों के साथ मतदान के लिये रखा जाता है। |
| **व्यवस्था का प्रश्न (Point of Order)** | जब सदन की कार्यवाही प्रक्रिया संबंधी सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है तो कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है।<br>व्यवस्था का प्रश्न सदन के नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों की व्याख्या या प्रवर्तन से संबंधित होना चाहिये जो सदन के कामकाज को नियंत्रित करते हैं और ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिये जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।<br>यह आमतौर पर सरकार पर लगाम लगाने के लिये विपक्षी सदस्य द्वारा उठाया जाता है।<br>यह एक असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन के समक्ष कार्यवाही को स्थगित कर देती है।<br>व्यवस्था के प्रश्न पर किसी बहस की अनुमति नहीं है। |
| **विशेष उल्लेख (Special Mention)** | ऐसा मामला जो राज्यसभा में प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा या स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या सदन के किसी नियम के तहत नहीं उठाया जा सकता है, विशेष उल्लेख के तहत उठाया जा सकता है।<br>**लोकसभा में इसके समकक्ष प्रक्रियात्मक उपकरण को 'नियम 377 के तहत नोटिस (उल्लेख)' के रूप में** जाना जाता है। |

- **संसद में विधायी प्रक्रिया**
  - संसद के दोनों सदनों में विधायी प्रक्रिया समान है। प्रत्येक विधेयक को प्रत्येक सदन में समान चरणों से गुजरना होता है।
  - विधेयक: एक विधेयक कानून के लिये एक प्रस्ताव है जो विधिवत अधिनियमित होने पर एक अधिनियम या कानून बन जाता है।
- **विधेयकों के प्रकार:** संसद में पेश किये गए विधेयक दो प्रकार के होते हैं; सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक।
- **वर्गीकरण:** संसद में पेश किये गए विधेयकों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - **साधारण विधेयक:** वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित।
  - **धन विधेयक:** कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित।
  - **वित्तीय विधेयक:** वित्तीय मामलों से संबंधित (लेकिन धन विधेयकों से अलग हैं)।
  - **संविधान संशोधन विधेयक:** संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित।

**विधेयक के प्रकार**

| सार्वजनिक विधेयक | निजी विधेयक |
|---|---|
| यह संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। | यह संसद किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। |
| यह सत्ताधारी पार्टी की नीतियों को दर्शाता है। | यह सार्वजनिक मामलों पर राजनीतिक दल के मत को दर्शाता है। |
| सदन में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है। | सदन में इसके पारित होने की संभावना कम होती है। |
| इसे सदन में पारित करने से 7 दिन पहले सूचित करना होता है। | इसे सदन में पारित करने से एक महीने पहले सूचित करना होता है। |
| इसका मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। | इसका मसौदा संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है। |

**विधेयकों का वर्गीकरण**

- **साधारण विधेयक:** क़ानून की किताब में जगह पाने से पहले हर साधारण बिल को संसद में निम्नलिखित पाँच चरणों से गुजरना पड़ता है।
  - **प्रथम वाचन:** इसे संसद के किसी भी सदन में या तो मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।बिल भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है।
    - बिल का परिचय और राजपत्र में इसका प्रकाशन बिल का पहला वाचन है।
- **दूसरा वाचन:** यह विधेयक के अधिनियमन में सबसे महत्वपूर्ण चरण है और इसमें तीन और उप-चरण शामिल हैं:
  - सामान्य चर्चा का चरण: इस स्तर पर, सदन निम्नलिखित चार कार्यों में से कोई एक कर सकता है:
  - यह बिल को तुरंत या किसी अन्य निश्चित तिथि पर विचार कर सकता है।
  - वह विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज सकती है।
  - यह विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेज सकता है
  - यह जनता की राय जानने के लिये विधेयक को परिचालित कर सकता है।
- **कमेटी स्टेज:** यह कमेटी बिल की पूरी तरह से और विस्तार से, प्रत्येक क्लॉज की जांच करती है।
  - यह अपने प्रावधानों में संशोधन भी कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को बिना बदले।
- **विचार चरण:** सदन, चयनित समिति से विधेयक प्राप्त करने के बाद, खंड दर खंड विधेयक के प्रावधानों पर विचार करता है।
  - प्रत्येक खंड पर अलग से चर्चा और मतदान किया जाता है।
- **तीसरा वाचन:** इस स्तर पर, बहस बिल की स्वीकृति या अस्वीकृति तक ही सीमित है।
  - यदि उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य विधेयक को स्वीकार करते हैं, तो विधेयक को सदन द्वारा पारित माना जाता है।
  - किसी विधेयक को संसद द्वारा तभी पारित माना जाता है, जब दोनों सदनों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सहमति हो जाती है।
- **द्वितीय सदन में विधेयक:** दूसरे सदन में भी विधेयक तीनों चरणों से होकर गुजरता है। दूसरा सदन हो सकता है:
  - पहले सदन द्वारा भेजे गए बिल को पास करें (यानी, बिना संशोधन के)।
  - ऐसे मामले में बिल को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिये भेजा जाता है।
  - विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करें और इसे पुनर्विचार के लिये पहले सदन में लौटा दें।
  - बिल को पूरी तरह से खारिज कर दें।
  - कोई कार्रवाई न करें और इस प्रकार बिल को लंबित रखें।
  - यदि दूसरा सदन बिल को पूरी तरह से खारिज कर देता है या छह महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है; एक गतिरोध उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसके लिये राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
- **राष्ट्रपति की सहमति:** संसद के दोनों सदनों द्वारा अकेले या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिये प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति कर सकते हैं:
  - विधेयक पर अपनी सहमति दें।
  - विधेयक पर अपनी सहमति रोक लें।
  - सदनों के पुनर्विचार के लिये विधेयक वापस करें। इस प्रकार, राष्ट्रपति के पास केवल "निलंबन वीटो" है।

**धन विधेयक एवं वित्त विधेयक:**

- **धन विधेयक:**

- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 110
- **अध्यक्ष द्वारा सत्यापन:** लोकसभा सत्यापित कृति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं।
- **सदन जिसमें पेश किया जा सकता है:** केवल लोकसभा में
- **राज्यसभा में विधेयक:** राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार नहीं सकती है।
- **संयुक्त बैठक:** कोई प्रावधान नहीं।

- **वित्त विधेयक:**
  - **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 117 (1), 117 (3)
  - **अध्यक्ष द्वारा सत्यापन:** लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
  - **सदन जिसमें पेश किया जा सकता है:** वित्त विधेयक (1) केवल लोकसभा में जबकि वित्त विधेयक (II) को किसी भी सदन में पेश किया जाता है।
  - **राज्यसभा में विधेयक:** राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है।
  - **संयुक्त बैठक:** राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त विधेयक आयोजित किया जा सकता है।

- **संविधान संशोधन विधेयक**
- भारत के संविधान के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक तीन प्रकार के हो सकते हैं जिसके लिये आवश्यक है:-
  - प्रत्येक सदन से पारित होने के लिये साधारण बहुमत।
  - प्रत्येक सदन से पारित होने के लिये विशेष बहुमत
  - उनके पारित होने और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसे पारित करने के आशय से प्रस्तावों द्वारा अनुसमर्थन के लिये एक विशेष बहुमत।
- जिस सदन में ये विधेयक पेश किये जाते हैं: अनुच्छेद 368 के तहत इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना है।
- संविधान संशोधन विधेयक (या धन विधेयक में) पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

- **दो सदनों की संयुक्त बैठक**
  - संयुक्त बैठक एक विधेयक पारित करने पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिये संविधान द्वारा प्रदान की गई असाधारण मशीनरी है।

- **गतिरोध की स्थितियाँ:** गतिरोध को निम्नलिखित तीन स्थितियों में से किसी एक के तहत हुआ माना जाता है:
  - यदि बिल दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाता है।
  - यदि बिल में किये जाने वाले संशोधनों के बारे में सदनों ने अंततः असहमति जताई है।
  - यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किये बिना विधेयक की प्राप्ति की तारीख से छह महीने से अधिक बीत चुके हैं।

- **प्रयोज्यता:** संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है न कि धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर।
  - धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अधिभावी शक्तियाँ होती हैं, जबकि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अलग से पारित किया जाना चाहिये।

- **अध्यक्ष की भूमिका:** लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों और उपाध्यक्ष की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उनकी अनुपस्थिति में करता है।
  - यदि दोनों अनुपस्थित हैं, तो राज्य सभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं।

- **गणपूर्ति:** एक संयुक्त बैठक के गठन के लिये गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा है।
- **संयुक्त बैठकों के उदाहरण:** वर्ष 1950 के बाद से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान केवल तीन बार लागू किया गया है। संयुक्त बैठकों में पारित किये गए बिल इस प्रकार हैं:
  - दहेज निषेध विधेयक, 1960
  - बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977
  - आतंकवाद निरोधक विधेयक, 2002

- **संसदीय विशेषाधिकार**
  - संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं, ताकि वे "प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन" कर सकें।
  - जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है।

- **संविधान में विशेषाधिकार:** संविधान (संसद के लिये अनुच्छेद 105 और राज्य विधानसभाओं के लिये अनुच्छेद 194) में दो विशेषाधिकारों का उल्लेख है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।
- **नियम पुस्तिका में प्रावधान:** लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और इसी तरह राज्य सभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 संसदीय विशेषाधिकारों को नियंत्रित करता है।

# 19. सर्वोच्च न्यायालय

**सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि**

- वर्ष 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई।
- बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह सभी अपराधों की शिकायतों को सुनने तथा निपटान करने के लिये एवं किसी भी सूट या कार्यों की सुनवाई एवं निपटान हेतु स्थापित किया गया था।
- मद्रास एवं बंबई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः वर्ष 1800 एवं वर्ष 1823 में स्थापित किये गए थे।
- भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई एवं कलकत्ता, मद्रास और बंबई में सर्वोच्च न्यायालयों को तथा प्रेसीडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया।
- इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिये सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था।
- संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उच्च न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र था।
- वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी, 1950 को हुई।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिये बाध्यकारी है।
- इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है - संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध प्रावधानों की समीक्षा।

**संवैधानिक प्रावधान**

- भारतीय संविधान में भाग पाँच (संघ) एवं अध्याय 6 (संघ न्यायपालिका) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है।
- संविधान के भाग पाँच में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
- अनुच्छेद 124 (1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) होगा तथा सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियाँ हैं।

**सर्वोच्च न्यायालय का संगठन (Organisation)**

- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश (एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीस अन्य न्यायाधीश) हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) 2019 के विधेयक में चार न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया।
- मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आठ (एक मुख्य न्यायाधीश एवं सात अन्य न्यायाधीश) निर्धारित की गई थी।
- संसद उन्हें विनियमित करने के लिये अधिकृत है।

**सर्वोच्च न्यायालय का स्थान**

- संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है। यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिये कोई निर्देश नहीं दे सकती है।

**न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ**

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है।
- अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है, यदि वह आवश्यक समझता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है।
- वर्ष 1950 से वर्ष 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही है। वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन किया गया था जब तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर ए एन रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1977 में इसका पुनः उल्लंघन किया गया जब तत्कालीन 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर एम. यू. बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
    - सरकार की इस स्वायत्तता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) में रद्द कर दिया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये।

**कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System)**

- कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 'तृतीय न्यायाधीश मामले' के माध्यम से हुई थी और यह वर्ष 1998 से चलन में है। इसका उपयोग उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों एवं स्थानांतरण के लिये किया जाता है।
- भारत के मूल संविधान में या संशोधनों में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है।

**कॉलेजियम प्रणाली का नेतृत्व:**

- सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व CJI (भारत के मुख्य न्यायाधीश) करते हैं और इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिये अनुशंसित नाम CJI और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुँचते हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है और कॉलेजियम द्वारा नाम तय किये जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है।

**कॉलेजियम प्रणाली एवं NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) की कार्यप्रणाली**

कॉलेजियम केंद्र सरकार को वकीलों या न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित करता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार भी अपने कुछ प्रस्तावित नामों को कॉलेजियम को भेजती है।

- कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों या सुझावों पर विचार करता है एवं अंतिम अनुमोदन के लिये फाइल को सरकार के पास भेज देता है।
- यदि कोलेजियम फिर से उन्हीं नामों को पुनः भेजता है तो सरकार को उन नामों पर अपनी सहमति देनी होगी लेकिन जवाब देने के लिये समयसीमा तय नहीं है। यही कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में लंबा समय लगता है।
- 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली को बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (NJAC) की स्थापना की गई थी।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और NJAC को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया कि न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी "मूल संरचना के सिद्धांतों" अर्थात् "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के खिलाफ थी।

**न्यायाधीशों की योग्यताएँ**

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये:
    - उसे भारत का नागरिक होना चाहिये।
    - उसे कम-से-कम पाँच वर्षों के लिये किसी उच्च न्यायालय (या उत्तरोतर एक से अधिक न्यायालय) का न्यायाधीश होना चाहिये, या
    - उसे दस वर्षों के लिये उच्च न्यायालय ( या उत्तरोतर एक से अधिक उच्च न्यायालय) का अधिवक्ता होना चाहिये, या
    - उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिये।
- **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।**

**शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)**

- सर्वोच्च न्यायालय के लिये नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित शपथ लेनी होगी कि मैं-
    - भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा;
    - भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा;
    - अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के पालन करूँगा;
    - संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूँगा।

**न्यायाधीशों का कार्यकाल (Tenure )**

- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है। हालाँकि इस संबंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान किये गए हैं:
  - वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी।
  - वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है।
  - संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।

**न्यायाधीशों को अपदस्थ करना**

- राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है, जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो।
- इस आदेश को संसद के दोनों सदस्यों के विशेष बहुमत (अर्थात् सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। उसे हटाने का आधार दुर्व्यवहार या अक्षमता होना चाहिये।
- न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है-
  - अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी (1991-1993) और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (2017-18) के महाभियोग के प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुए।

**वेतन एवं भत्ते**

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इनमें कटौती नहीं की जा सकती है।
- वर्ष 2021 में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया गया था।
- यह विधेयक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन का प्रावधान करता है।

**कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश**

- राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जब:
  - मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो।
  - अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो।
  - मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो।

- **तदर्थ न्यायाधीश**
  - जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिये स्थायी न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ति की कमी होती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है।
  - जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य होना चाहिये। तदर्थ न्यायाधीश का यह दायित्व है कि वह अपने अन्य दायित्वों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने को अधिक वरीयता दे। ऐसा करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और विशेषाधिकार (और पद त्याग) प्राप्त होते हैं।

- **सेवानिवृत्त न्यायाधीश**
  - भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य है) से अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करे।
  - ऐसा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होने पर ही किया जा सकता है।
    - ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त करने के योग्य होता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्यायनिर्णयन, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों को प्राप्त करेगा किंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

**न्यायालय की प्रक्रिया**

- सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंज़ूरी के साथ, न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये नियम बना सकता है।
- संवैधानिक मामलों या संदर्भों को अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है और कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है। अन्य सभी मामले आमतौर पर तीन न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा तय तय किये जाते हैं। ये निर्णय खुले न्यायालय द्वारा दिये जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं, लेकिन यदि अलग-अलग मत होते हैं, तो न्यायाधीश एक-दूसरे से असहमत निर्णय या राय दे सकते हैं।

**सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता**

- सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय, अपील का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है।
  - अतः इसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिये इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक हो जाती है। यह कार्यकारी (मंत्रियों की परिषद) और विधानमंडल (संसद) के अतिक्रमण, दबावों एवं हस्तक्षेपों से मुक्त होना चाहिये। इसे बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिये।
- **संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवं सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित प्रावधान किये हैं:**
  - नियुक्ति का तरीका
  - कार्यकाल की सुरक्षा
  - निश्चित सेवा शर्तें
  - संचित निधि से व्यय
  - न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती
  - सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक
  - अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति
  - अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता
  - इसके न्यायक्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती
  - कार्यपालिका से पृथक

**सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार**

1) **मूल क्षेत्राधिकार**
- एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत रूप से देखें तो निम्न के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करता है-
  - केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य, या
  - केंद्र एवं कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना तथा एक अथवा अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, या
  - दो या अधिक राज्यों के मध्य
- उपरोक्त संघीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय में विशेष मूल, न्यायक्षेत्र निहित है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं हैं-**
  - कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा सनद एवं अन्य संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो।
  - कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर उत्पन्न हुआ हो जिसमें यह प्रावधान हो कि संबंधित न्यायक्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है।
  - अंतर्राज्यीय जल विवाद।
  - वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले।
  - केंद्र एवं राज्यों के मध्य खर्चों एवं पेंशन के संबंध में समझौता।
  - केंद्र एवं राज्यों के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद।
  - केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई।

2) **न्यायादेश क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction)**
- सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रेच्छा आदि पर न्यायादेश जारी कर विक्षिप्त नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे।
  - इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इस अर्थ में है कि एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि यह कार्य याचिका के माध्यम से किया जाए।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायादेश अधिकार क्षेत्र पर विशेषाधिकार नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी करने का अधिकार है।

3) **अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)**
- सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। इसको एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिसे चार शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - संवैधानिक मामलों में अपील
  - दीवानी मामलों में अपील
  - आपराधिक मामलों में अपील
  - विशेष अनुमति द्वारा अपील

4) **सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)**
- अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है:
  - सार्वजनिक महत्त्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर अथवा प्रश्न उठने की संभावना पर।

- किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद संबंधी मामलों पर कोई विवाद उत्पन्न होने पर।

5) **अभिलेख का न्यायालय (Court of Record)**

- अभिलेखों के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियाँ हैं-
  - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज़ किये जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
  - ये रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किये जाते हैं
  - इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार है, यह सजा 6 माह का सामान्य कारावास या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकती है।

6) **न्यायिक समीक्षा की शक्ति**

- न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है।
  - जाँच में यदि वे संविधान (अल्ट्रा-वायर्स) के उल्लंघनकर्त्ता पाए जाते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (बालित और शून्य) घोषित किया जा सकता है। नतीजतन, उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

## संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं महत्त्व

संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिये डॉ० अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद बताया- "एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय हैं।"

संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटर और रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया है। ये रिट अंग्रेजी कानून से ग्रहण की गयी हैं जिसे 'विशेषाधिकार रिट' के रूप में जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, और क्वो-वारंटो के रिट जारी कर सकता हैं। कोई भी व्यक्ति, जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। (नोट-संसद (अनुच्छेद 32 के तहत) किसी अन्य अदालत को ये रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है।)
आइए संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रिटों के अर्थ और दायरे को समझते हैं।
भारतीय संविधान के अंतर्गत रिट पांच प्रकार की होती है।

1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण(Habeas Corpus)
2) परमादेश(Mandamus):
3) **उत्प्रेषण** (Certiorari)
4) **प्रतिषेध** (Prohibition)
5) **अधिकार पृच्छा** (Quo-warranto)

- **बन्दी प्रत्यक्षीकरण(Habeas Corpus) –**
  - यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'शारीरिक प्रत्यक्षीकरण'।
  - यह अदालत द्वारा यह आदेश उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इसका उदेश्य हिरासत के व्यक्ति को पेश करने के लिए कहना हैं। इसके बाद अदालत हिरासत के कारण और वैधता की जांच करती है।
  - यह रिट मनमानी नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच प्रदान करता है।
  - बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है।

- **परमादेश(Mandamus)-**
  - इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम आज्ञा देते हैं'।
  - यह अदालत द्वारा एक सरकारी अधिकारी को जारी किया गया जाता है जो उसे आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है कि वह विफल रहा है या उसे करने से इनकार कर दिया है।
  - यह किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण, या इसी उद्देश्य के लिए सरकार के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है।

- **प्रतिषेध** (Prohibition)-
  - इसका शाब्दिक अर्थ है 'निषिद्ध करना'।
  - यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी किया जाता है ताकि वह अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या उस अधिकार क्षेत्र में दखल न दे. जो उसके पास नहीं है।
  - निषेध का रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है।

- **उत्प्रेषण** (Certiorari)-
  - शाब्दिक अर्थ में, इसका अर्थ है 'प्रमाणित होना' या 'सूचित होना'।
  - यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या किसी मामले में आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
  - यह अधिकार क्षेत्र से अधिक या अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है।

**नोट-**

पहले, **उत्प्रेषण** का रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती थी, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नहीं। हालांकि, 1991 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी **उत्प्रेषण** जारी किया जा सकता है।

**अधिकार पृच्छा** (Quo-Warranto)-

- शाब्दिक अर्थ में, इसका अर्थ है 'किस अधिकार या वारंट से'।
- यह अदालत द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है।
- यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध उपयोग को रोकता है।
- यह रिट केवल किसी क़ानून या संविधान द्वारा सृजित स्थायी स्वरूप का एक वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय को जारी किया जाता हैं।

# 20. राज्यपाल

**राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान**

- **पृष्ठभूमि:** राज्यपाल का पद भारत सरकार अधिनियम 1935 से आहरित है।उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ब्रिटिश भारत की सरकार के विपरीत, राज्यपाल एक राज्य का संज्ञात्मक प्रमुख होते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति की भांति, उनसे कुछ संवैधानिक एवं परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार को छोड़कर, राज्य के मंत्रिपरिषद (सीओएम) सहायता एवं परामर्श पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
- **अनुच्छेद 163:** यह राज्यपाल की समस्त विवेकाधीन शक्तियों का स्रोत है, जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचित राज्यकार्यपालिका एवं विधायिका के साथ संघर्ष होता है।
- **अनुच्छेद 153:** प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे।
- **अनुच्छेद 256: संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो।**
- **आपातकालीन शक्तियां (अनुच्छेद 356):** राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य में आपातकाल लगाने की संस्तुति कर सकते हैं एवं भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात उद्घोषणा जारी कर सकते हैं।
- **राज्यों एवं केंद्र सरकार के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं:** संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को केंद्र एवं राज्यों केमध्य एक साझा कड़ी होने की कल्पना की, जो राज्य में लोकतांत्रिक सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है।

**राज्यपाल के पद से जुड़े मुद्दे**

- **नियुक्ति/हटाने की प्रक्रिया:** राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं क्योंकि संविधान में पदच्युति हेतु कोई आधार उल्लेखित नहीं है।
  यह नियुक्ति प्रक्रिया में पक्षपात को अग्रसर करता है एवं कम सक्षम व्यक्तियों के पक्ष में उपयुक्त उम्मीदवारों की उपेक्षा की जाती है।
- **केंद्र में राजनीतिक दल के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना:** नियुक्ति में पक्षपात एवं संविधान में कार्यकाल की किसी भी सुरक्षा के अभाव के कारण, राज्यपाल कापद राज्य एवं केंद्र सरकारके मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करने के बजाय प्रायः केंद्र सरकार के कठपुतली / अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है।
- **विवेकाधीन शक्तियां:**

– **त्रिशंकु विधानसभाओं में पक्षपातपूर्ण भूमिका:** यह एक परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार है जहां वह सरकार बनाने के लिए किसी दल / गठबंधन को आमंत्रित करने के लिए स्वतंत्र है, यदि राज्य विधानसभा चुनावों में किसी भी दल / निर्वाचन पूर्व गठबंधन ने बहुमत सीटें नहीं जीती हैं।

उदाहरण: कर्नाटक, जहां राज्यपाल ने निर्वाचन उपरांत गठबंधन के नेता को आमंत्रित करने के बजाय, सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल को आमंत्रित किया, जिसने चुनावों में बहुमत सीटें जीती थीं।

– **राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति का दुरुपयोग:** राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ राज्य विधेयकों को आरक्षित करना उनका संवैधानिक विवेकाधिकार है। इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, राज्यपाल प्रायः राज्य विधानसभा के विधान निर्माण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, विशेष रूप से उन विधेयकों के लिए जो केंद्र सरकार के लिए असहज हैं।

- आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग: राज्यपालों को अक्सर तुच्छ आधारों पर राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करते पाया गया है, विशेष रूप से, जब केंद्र में सत्तारूढ़ दल संबंधित राज्य से भिन्न होता है।

- निर्वाचित सरकार का वर्जन करना: ऐसे कई उदाहरण हैं जब राज्यपाल राज्य के अधिकारियों को सीधे आदेश देते हैं या राज्य सरकारों को सूचित किए बिना सार्वजनिक कार्यालयों का दौरा करते हैं। यह उनके संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध है क्योंकि वह केवल एक नाममात्र के प्रमुख हैं एवं उनसे राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

**सुझाव**

- **एस. आर. बोम्मई के फैसले को अक्षरश: लागू करना:** जो सर्वोच्च न्यायालय को दुर्भावनापूर्ण एवं अनुचित होने के आधार पर राज्य में आपातकाल आरोपित करने की जांच करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **राज्यपालों की नियुक्ति एवं पदच्युति के लिए एक ठोस प्रक्रिया विकसित करना:** जैसा कि पुछी एवं सरकारिया आयोगों ने सुझाव दिया है, राज्यपालों को स्वच्छ चरित्र एवं गुणवत्ता के आधार पर चयनित किया जाना चाहिए एवं उन्हें निश्चित कार्यकाल प्रदान किया जाना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं क्षेत्र के अन्य संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ संघ एवं राज्य सरकारों के पूर्व परामर्श एवं समझौते के साथ **राज्यपाल के पद के लिए एक आचार संहिता विकसित करें**।
- **संवैधानिक सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखना:** राज्यपालों को केंद्र में सत्तारूढ़ दल के संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए कार्य करने के बजाय, संविधान की भावना को बनाए रखते हुए संवैधानिक नैतिकता को अक्षुण्ण रखना चाहिए।

## 21. मुख्यमंत्री

**नियुक्ति:**

- संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
  - विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
  - राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है।
  - हालाँकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियाँ राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं।
- एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उस समयसीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है।

**CM का कार्यकाल:**

- मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
  - राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है।
- यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।

**शक्तियाँ एवं कार्य:**

- **मंत्रिपरिषद के संबंध में:**
  - राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
  - वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
  - वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।

- **राज्यपाल के संबंध में:**
  - संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
  - मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है।

- **राज्य विधानमंडल के संबंध में:**
  - सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है।
  - वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है।

- **अन्य कार्य:**
  - वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
  - वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
  - वह अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है, इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
  - वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।

- आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है।
- राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है।
- वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख है।

# 22. विधानपरिषद

**संविधान में राज्य विधानपरिषद से जुड़े प्रावधान:**

- संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168-212 तक राज्य विधानमंडल (दोनों सदनों) के गठन, कार्यकाल, नियुक्तियों, चुनाव, विशेषाधिकार एवं शक्तियों की व्याख्या की गई है।
- इसके अनुसार, विधानपरिषद उच्च सदन के रूप में राज्य विधानमंडल का स्थायी अंग होता है।
- वर्तमान में देश के 6 राज्यों -आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधानपरिषद है, केन्द्रशासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू-कश्मीर में भी विधानपरिषद थी।
- संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1) और 171(2) में विधानपरिषद के गठन एवं संरचना से जुड़े प्रावधान हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 169 किसी राज्य में विधानपरिषद के उत्सादन या सृजन का प्रावधान करता है, वहीं अनुच्छेद 171 विधानपरिषदों की संरचना से जुड़ा है।
- संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, राज्यों को विधानपरिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिये प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत (2/3) से पारित होना अनिवार्य है।
- विधानसभा के सुझावों पर विधानपरिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है।
- विधानसभा से पारित विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पास हो जाता है तब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिये भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक (विधानपरिषद का गठन अथवा विघटन) को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है।
- इस प्रक्रिया के दौरान संविधान में आए परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता।

**विधानपरिषद की संरचना:**

- संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, विधानपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिये।
- विधानपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों की ही तरह 6 वर्षों का होता है तथा कुल सदस्यों में से एक-तिहाई (1/3) सदस्य प्रति दो वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- राज्यसभा की तरह ही विधानपरिषद भी एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है।
- राज्यसभा की ही तरह विधानपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा नहीं होता है।

**विधानपरिषद के गठन की प्रक्रिया:**

- संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधानपरिषद के गठन के लिये सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं-
- 1/3 सदस्य राज्य की नगरपालिकाओं, ज़िला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं।
- 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम-से-कम तीन वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिया हो एवं उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हों।
- 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जो 3 वर्ष से उच्च माध्यमिक (हायर सेकेंडरी) विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कर रहे हों।
- 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, जो कि राज्य के साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखते हों।
- सभी सदस्यों का चुनाव 'अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' के आधार पर एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रक्रिया से किया जाता है।

**सदस्यता हेतु अर्हताएँ**:

- संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के राज्य विधानपरिषद में नामांकन के लिये निम्नलिखित अहर्ताएँ बताई गई हैं-
- वह भारत का नागरिक हो।
- उसकी आयु कम-से-कम 30 वर्ष होनी चाहिये।
- मानसिक रूप से असमर्थ और दिवालिया नहीं होना चाहिये।
- जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा हो वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिये।
- राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिये व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।

**द्विसदनीय व्यवस्था:**
भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली के अंतर्गत देश की संसद में दो सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की व्यवस्था की गई है। इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि राज्यसभा उच्च सदन के रूप में लोकसभा की कार्रवाइयों/कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखने और ज़ल्दबाजी में लिये गए निर्णयों को सुधारने का एक और अवसर प्रदान करती है। इसी प्रणाली के तहत राज्यों में विधानसभा और विधानपरिषद के रूप में दो सदनों की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है।

**विधानमंडल की कार्य एवं शक्तियाँ:**
- साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है परंतु असहमति की स्थिति में विधानसभा प्रभावी होती है।
- विधानपरिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम चार माह तक ही रोक सकती है।
- मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है, यदि विधानपरिषद के सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
- वित्त विधेयक को सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधानपरिषद वित्त विधेयक को न ही अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिनों से अधिक रोक सकती है।
- 14 दिनों के बाद विधेयक को विधानपरिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा।
- राज्यसभा के लिये राज्यों से जाने वाले प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानपरिषद का कोई योगदान नहीं होता है।
- संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में विधानपरिषद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
- विधानसभा को विधानपरिषद के सुझावों का अध्यारोहण करने का अधिकार प्राप्त होता है।

**राज्यसभा की तुलना में विधानपरिषद की शक्तियाँ:**
- देश का उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, जबकि विधानपरिषद के सभापति का चुनाव परिषद के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है।
- राज्यसभा में देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है।
- विधानपरिषद के सदस्य अलग-अलग तरीकों से निर्वाचित होते हैं और इनमें नामित सदस्यों की संख्या अधिक होती है।
- राज्यसभा के गठन का आधार समान है, इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और मात्र 12 सदस्य ही राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।

**विधानपरिषद की उपयोगिता:**
- इस व्यवस्था द्वारा उन लोगों को भी विधायिका में सीधे अपना योगदान देने का मौका मिलता है जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रत्यक्ष चुनावों से नहीं चुना जा सका हो।
- विधान मंडल का उच्च सदन विधानसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्तापक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है।
- उच्च सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करता है, जो सरकार की जन-कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं।
- इस व्यवस्था को **नियंत्रण और संतुलन** सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिये आवश्यक माना जाता है।

## 23. उच्च न्यायालय

भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम **1862** में एक साथ तीन प्रान्तों कलकत्ता, बंबई व मद्रास में हुआ तथा **1866** में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई **|** अत: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद **1950** में प्रान्तों के उच्च न्यायालयों को राज्यों के उच्च न्यायालय में बदल दिया गया **|** वर्तमान समय में देश में **25 उच्च न्यायालय** है जिनमें से **4 साझा** न्यायालय है **|** केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय **1966** से है **|** भारतीय संविधान के **भाग – 6** में **अनु०- 214 से 231** तक उच्च न्यायालयों से संबंधित है **|**

**गठन**
अनु० – 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है किंतु अनु० – 231 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह दो या इससे अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है **|**
- पंजाब (Punjab) , हरियाणा (Haryana) व चंडीगढ़ (Chandigarh) के लिए एक ही उच्च न्यायालय है**|**
- वर्ष **2013** में मणिपुर (Manipur) , मेघालय (Meghalaya) व त्रिपुरा (Tripura) के लिए अलग -अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई **|**

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायधीश तथा अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति आवश्यकता के अनुसार समय – समय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाति है **|**

**नियुक्ति**
उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति (President) , भारत के मुख्य न्यायधीश (Chief Justice of India) व संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की सलाह से करता है |

**योग्यता**
- भारत का नागरिक हो|
- उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में **10** वर्ष तक अधिवक्ता अह चुका हो |
- कम से कम **10** वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव हो |

**कार्यकाल**
- उच्च न्यायालय का न्यायधीश **62** वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है|
- अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी उच्च न्यायालय का न्यायधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है|
- सिद्ध कदाचार व दुर्व्यवहार के आधार पर संसद के दोनों सदनों में पारित विशेष बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है|

**वेतन व भत्ते**
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते है |

**न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया**
संसद के दोनों सदनों से पारित विशेष बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालय के न्यायधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है , किंतु न्यायधीश को हटाने का आधार उसका सिद्ध कदाचार व असमर्थता होनी चाहिए. न्यायधीश जाँच अधिनियम न्यायधीश को हटाने के लिए **महाभियोग की प्रक्रिया** का उपबंध करता है|**जो निम्न है** :
- न्यायधीश को हटाने हेतु सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम लोकसभा में **100 सदस्यों** व राज्यसभा में **50 सदस्यों** के हस्ताक्षर अनिवार्य है
- लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है |
- प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में इसकी जाँच के लिए **3** सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है , जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायधीश या अन्य न्यायधीश , उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश , प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल होते है |
- यदि समिति द्वारा न्यायधीश को आरोपों का दोषी पाया जाता है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है
- विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तथा अंत में राष्ट्रपति द्वारा न्यायधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाया जा सकता है |

**न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया**
उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के स्थानांतरण के मामलें में भारत के मुख्य न्यायधीश को **4** वरिष्टतम न्यायधीशों दो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश (एक वह के न्यायधीश से जहाँ को स्थानांतरण हो रहा है व वहां के न्यायधीश से जहाँ से स्थानांतरण हो रहा है ) से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है |

**उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता**
- नियुक्ति की प्रक्रिया के द्वारा
- कार्यकाल की सुरक्षा के द्वारा
- सेवानिवृति के बाद वकालत पर प्रतिबंध (उच्च व उच्चतम न्यायालय को छोड़कर)
- अवमानना प् दंड देने की शक्ति
- कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता
- कार्यपालिका सेपृथक्करण

**उच्च न्यायलय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार**
उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है अत: उच्च न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है | उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निम्न लिखित है –

**1) मूल क्षेत्राधिकार**
- इसके अंतर्गत कुछ मामलों की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय कर सकता है तथा ऐसे मामलों में निचली अदालत में सुनवाई आवश्यक नहीं है , उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार उसे राज्य से संबंधित सभी विवादों में निर्णायक की भूमिका प्रदान करता है| उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलें निम्न है —
  - वसीयत , विवाह , तलाक , कंपनी कानून व न्यायालय की अवमानना से संबंधित मामलें
  - संसद सदस्यों व राज्यविधान्मंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद
  - राजस्व संबंधी मामलें
  - नागरिकों के मूल अधिकारों में प्रवर्तन

**2) न्यायादेश क्षेत्राधिकार**

अनु० – 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को न्यायादेश (रिट) जरी करने का अधिकार प्राप्त है , रिटों से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है क्योकि उच्चतम न्यायालय को केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित रिटे जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय अन्य मामलों में भी रिटे जारी कर सकता है |

चंद्र कुमार मामलें (1997) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय व् उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान में मूल ढाँचे के अंतर्गत आते है अत: संविधान संसोधन के द्वारा इसमें कुछ भी जोड़ा व् हटाया नहीं जा सकता है |

**3) अपीलीय क्षेत्राधिकार**

उच्च न्यायालय को अनेक अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है , उच्च न्यायालय की अधिकारिता केवल दीवानी व फौजदारी मामलों में है |

**4) दीवानी मामलें –** उच्च न्यायालय में उन सब मामलों में अपील की जा सकती है जो 5 लाख रु० या उससे अधिक की संपत्ति से संबंधित है | जैसे – पेटेंट, भूमि प्राप्ति , भूमि अधिग्रहण , दिवालियापन आदि मामलों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है |

**5) फ़ौजदारी मामलें —** उच्च न्यायालय को इन मामलों में निम्न क्षेत्राधिकार प्राप्त है-

- जब सत्र न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक सजा हुई हो |
- जब सत्र न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो

**6) अभिलेखीय क्षेत्राधिकार**

इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को दो शक्तियां प्राप्त है –

- उच्च न्यायालय के फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाते है तथा उन्हें आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिए जाते है **|**
- उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को किसी अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है तथा उच्च न्यायालय को यह अधिकार भी है की वह अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सके , इसके लिए लगभग **6 माह** तक सामान्य जेल या 2000 रू० अर्थदंड या दोनों हो सकते है **|**

**7) पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार**

इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखता है किंतु उसे यह अधिकार सैन्य न्यायालयों के संबंध में प्राप्त नहीं है

**8) अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण**

- उच्च न्यायालय राज्य में न्याय के लिए सर्वोच्च संस्था होती है और निम्न तरीको से अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखती है **|**
- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति , पदोन्नति राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है **|**
- उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गये कानून सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते है **|**

**9) न्यायिक पुनर्विलोकन**

उच्चतम न्यायालय की तरह ही राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी कानून से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है , उच्च न्यायालय संसद व राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गये ऐसे कानून को जो मूलभूत अधिकारों का हनन करते हो को असंवैधानिक घोषित कर सकता है तथा इनके निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है **|**

उच्च न्यायालय को अनु० 13A व अनु० – 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है **|**

# 24. अंतर्राज्यीय परिषद

**पृष्ठभूमि:**

- केंद्र सरकार ने **केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा** करने के लिये न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में वर्ष 1988 में एक आयोग गठित किया था।
- **सरकारिया आयोग** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिये एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में **अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित** किये जाने की महत्त्वपूर्ण सिफारिश की थी।

**परिचय:**

- अंतर्राज्यीय परिषद को **राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच** करने और सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों या केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के समान हित वाले **विषयों की पड़ताल तथा विमर्श** करने का अधिकार है।
- यह इन विषयों पर **नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिये सिफारिशें** भी करता है, राज्यों के सामान्य हित के मामलों पर विचार-विमर्श करता है, जिसे इसके अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।
- यह राज्यों के सामान्य हित के अन्य मामलों पर भी विचार करता है, जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया हो।
- परिषद की एक वर्ष में कम-से-कम तीन बार बैठक हो सकती है।
- परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है।

**संगठन:**

- अध्यक्ष- प्रधानमंत्री
- सदस्य- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा नहीं रखने वाले केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक तथा राष्ट्रपति शासन (जम्मू-कश्मीर के मामले में राज्यपाल शासन) के तहत राज्यों के राज्यपाल सदस्य।
- प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री।

**अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य:**

- देश में **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने के लिये एक मज़बूत संस्थागत ढाँचा तैयार करना तथा नियमित बैठकें आयोजित करके परिषद व क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना।
- क्षेत्रीय परिषदों और अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा केंद्र-राज्य तथा अंतर-राज्य संबंधों के सभी लंबित व उभरते मुद्दों पर विचार करने की सुविधा प्रदान करता है।
- उनके द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये एक प्रणाली विकसित करना।

**अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति:**

**परिचय:**

- इसकी स्थापना वर्ष 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों के निरंतर परामर्श और प्रसंस्करण के लिये की गई थी।
- इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: (i) केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में (ii) पाँच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (iii) अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की सहायता हेतु नौ मुख्यमंत्रियों की एक परिषद।
- यह सचिवालय वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व भारत सरकार के एक सचिव द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

**कार्य:**

- स्थायी समिति के पास परिषद के विचार के लिये निरंतर परामर्श और प्रक्रिया संबंधी मामले होंगे, केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित सभी मामलों को अंतर-राज्य परिषद में विचार करने से पहले संसाधित करना।
- स्थायी समिति परिषद की सिफारिशों पर लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है तथा अध्यक्ष या परिषद द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले पर विचार करती है।

**अंतर्राज्यीय संबंध को बढ़ावा देने वाले अन्य निकाय:**

- **क्षेत्रीय परिषद:**
  - क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैं। ये संसद के एक अधिनियम, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किये गए हैं।
  - इस अधिनियम ने देश को पाँच क्षेत्रों- उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की।
    - इन क्षेत्रों का निर्माण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया है जिनमें शामिल हैं: देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली और संचार के साधन, सांस्कृतिक व भाषायी संबंध तथा आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की आवश्यकता।

- **उत्तर-पूर्वी परिषद:** उत्तर-पूर्वी राज्य (i) असम, (ii) अरुणाचल प्रदेश, (iii) मणिपुर, (iv) त्रिपुरा, (v) मिज़ोरम, (vi) मेघालय और (vii) नगालैंड, क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं तथा उनकी विशेष समस्याओं को **उत्तर-पूर्वी परिषद** द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित किया गया था।
- **अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य:**
  - **संविधान का भाग XIII, अनुच्छेद 301 से 307** भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और मेल-जोल से संबंधित है।
- **अंतर्राज्यीय जल विवाद:**
  - **संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों** के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है।
  - यह दो प्रावधान करता है:
    - संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के ज़ल के उपयोग, वितरण तथा नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।
    - संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि इस तरह के किसी भी विवाद या शिकायत पर सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी अन्य न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

## 25. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

"भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG-कैग) संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए।"

**-डॉ. भीम राव अम्बेडकर**

**पृष्ठभूमि**

- महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था।
- वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखापरीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा।
- वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत महालेखापरीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय ढाँचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिये प्रावधान करके महालेखापरीक्षक के पद को और शक्ति दी।
- इस अधिनियम में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था और भारत के महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी।
- वर्ष 1936 के लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों और लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया।
- यह व्यवस्था वर्ष 1947 तक अपरिवर्तित रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखापरीक्षक नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 1958 में CAG के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया।
- वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 लागू किया।
- अधिनियम ने CAG को केंद्र और राज्य सरकारों के लिये लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की ज़िम्मेदारी दी।
- वर्ष 1976 में CAG को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया।

**संवैधानिक प्रावधान**

- **अनुच्छेद 148** CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 149** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 150** कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार (CAG की सलाह पर) रखना होगा।
- **अनुच्छेद 151** कहता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी।
- किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा।
- **अनुच्छेद 279**- 'शुद्ध आय' की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाणपत्र अंतिम माना जाता है।
- **तीसरी अनुसूची**- भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा IV भारत के CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है।

- **छठी अनुसूची-** इस अनुसूची के अनुसार, ज़िला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति की अनुमति के साथ CAG द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिये।
- इन निकायों के खाते का लेखा-जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार CAG उचित समझता है और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।

**CAG की स्वायत्तता**

- CAG की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये संविधान में कई प्रावधान किये गए हैं।
- CAG राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ( दोनों में से जो भी पहले हो)
- CAG को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है।
- एक बार CAG के पद से सेवानिवृत्त होने/इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता।
- CAG भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कड़ी है। अन्य कड़ियों में सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग शामिल हैं।
- कोई भी मंत्री संसद में CAG का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।
- CAG का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न (कम) नहीं की जा सकतीं।
- उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती हैं।
- CAG के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता।

**CAG के कार्य और शक्तियाँ**

- CAG को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे-
  - संविधान का अनुच्छेद 148 से 151
  - नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971
  - महत्त्वपूर्ण निर्णय
  - भारत सरकार के निर्देश
  - लेखा और लेखा-परीक्षा विनियम, 2017
- CAG भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है, की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है।
- भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ-साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ- हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है।
- संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्यों के राजस्व से वित्तपोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों की आय-व्यय का परीक्षण करता है।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किये जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे- कोई स्थानीय निकाय।
- केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे, उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।
- केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है।
- किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।
- संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।

**CAG और लोक लेखा समिति**

- लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है।
- CAG की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है।
- विनियोग खातों, वित्त खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
- केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को CAG द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो संसद में दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती हैं।
- CAG सबसे ज़रूरी मामलों की एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपता है।
- CAG कभी-कभी राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है।
- CAG यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं। यदि नहीं तो वह मामले को लोक लेखा समिति के पास भेज देता है जो मामले पर आवश्यक कार्रवाई करती है।

## 26. वित्त आयोग

**क्यों पड़ी वित्त आयोग की आवश्यकता?**

- भारत की संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति तथ कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है और इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।
- राज्य विधायिकाओं को अधिकार है कि वे स्थानीय निकायों को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकती हैं।
- केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।
- स्थानीय मुद्दों और ज़रूरतों को निकटता से जानने के कारण राज्यों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्रों में लोकहित का ध्यान रखें।
- हालाँकि इन सभी कारणों से कभी-कभी राज्य का खर्च उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है।
- इसके अलावा, विशाल क्षेत्रीय असमानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इन असंतुलनों को दूर करने के लिये वित्त आयोग राज्यों के साथ साझा किये जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा की सिफारिश करता है।
- भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर गठित आयोग हैं।

**वित्त आयोग के सदस्यों हेतु अर्हताएँ**

संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएँ निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम,1951 पारित किया गया है। इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो सार्वजनिक तथा लोक मामलों का जानकार हो। अन्य चार सदस्यों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो या उन्हें प्रशासन व वित्तीय मामलों का या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो।

**वित्त आयोग के कार्य दायित्व**

- भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
- अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता दी जानी चाहिये।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक क़दमों की सिफारिश करना।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश, जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हों।
- आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है।
- प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके।
- वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है।

## 27. नीति आयोग

स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएँ बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एकवर्षीय योजनाएँ काफी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप दशकों तक योजनाएँ बनाने के काम को अंजाम दिया। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर **नीति आयोग** का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया।

**अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग**

- 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था।
- भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न-भिन्न ताकतें और कमज़ोरियाँ हैं।
- आर्थिक नियोजन के लिये सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्द्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता।

**नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना**
**अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री
**उपाध्यक्ष:** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
**संचालन परिषद:** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
**क्षेत्रीय परिषद:** विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
**तदर्थ सदस्यता:** अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।
**पदेन सदस्यता:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
**मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO):** भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
**विशेष आमंत्रित:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।

**नीति आयोग के दो प्रमुख हब**
- **टीम इंडिया हब-** राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।
- **ज्ञान और नवोन्मेष (Knowledge & Innovation) हब-** नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है।
- नीति आयोग ने तीन दस्तावेज़ जारी किये हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज़ और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज़ शामिल हैं।

**नीति आयोग के उद्देश्य**
- यह मानते हुए कि मज़बूत राज्य ही एक मज़बूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिये राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना।
- ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिये तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियाँ शामिल की गई हैं।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हैं।
- प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना।
- राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हित धारकों तक उनको पहुँचाना।
- योजना का विकेंद्रीकरण है, लेकिन पंचवर्षीय योजना के भीतर।
- परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर ज़िम्मेदारियाँ तय करना।
- नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने तथा उसमें सुधार के एजेंडे में योगदान दे सकता है।
- नीति आयोग में देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनने की क्षमता है।

योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिये इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिये और यह योजना तथा गैर-योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिये। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढाँचे का घाटा दूर हो सकता है।

**नीति आयोग और योजना आयोग में प्रमुख अंतर**

| नीति आयोग | योजना आयोग |
|---|---|
| यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। | इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। |
| यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। | यह सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। |
| यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। | इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। |
| प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है। | सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। |
| यह Bottom-Up Approach पर कार्य करता है। | यह Top-Down Approach पर कार्य करता था। |
| इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है। | यह राज्यों के लिये नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिये धन आवंटित करता था। |
| इसे धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं हैं जो वित्त मंत्री में निहित हैं। | इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियाँ प्राप्त थीं। |

**नीति आयोग की पहलें:**

- SDG इंडिया इंडेक्स
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- अटल इनोवेशन मिशन
- साथ परियोजना
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
- ज़िला अस्पताल सूचकांक
- स्वास्थ्य सूचकांक
- कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स
- सुशासन सूचकांक

Pram Ias

## 28. राष्ट्रीय विकास परिषद

योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, 1952 ई० को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था । राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) एक कार्यकारी निकाय है ।यह ना ही संवैधानिक है और न ही एक सांविधिक निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री, परिषद का अध्यक्ष होता है । भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं।

**संरचना**:
राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होने वाले सदस्यों का वर्णन नीचे किया जा रहा है:
- भारत के प्रधानमंत्री (एनडीसी के अध्यक्ष)
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक
- सभी कैबिनेट मंत्री
- योजना आयोग के सदस्य

**उद्देश्य-**
एनडीसी, योजना आयोग (अब नीति आयोग) का एक सलाहकार निकाय है। NDC के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन निम्नवत् किया जा रहा है:
- योजना के पक्ष में देश के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत बनाना और लामबंद करना।
- सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना।
- देश के सभी भागों का संतुलित और तेजी विकास को सुनिश्चित करना।
- इसके अलावा, एनडीसी सभी राज्यों के लिए उनकी समस्याओं और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस प्रकार, यह विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों के सहयोग को सुरक्षित करता है।

**कार्य**-
अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, एनडीसी के कार्यों का वर्णन निम्नवत किया जा रहा है:
- योजना संसाधनों के मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण करना।
- योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय योजना पर विचार करना।
- योजना और संसाधनों को बढ़ाने के रास्तों के लिए तथा योजना को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करना।
- राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण सवालों पर विचार- विमर्श करना।
- समय-समय पर पंच वर्षीय योजना के कामकाज की समीक्षा करना।
- ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं

## 29. भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी।

**संरचना**
आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहले पहल 1950 में गठित हुआ तब से और 15 अक्टूबर, 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर, 1989 से 1 जनवरी, 1990 तक यह आर. वी. एस. शास्त्री (मु.नि.आ.) और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एस.एस. धनोवा और वी.एस. सहगल सहित तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। 2 जनवरी, 1990 से 30 सितम्बर, 1993 तक यह एक एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर, 1993 से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया।

**चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यावधि**
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से सम्बंधित सत्ता होती है जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव की सत्ता सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है।

**निर्वाचन आयोग का कार्य तथा कार्यप्रणाली**

- निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनॉ का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाये वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यविधानसभा के चुनाव करता है
- निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है
- राजनैतिक दलॉ का पंजीकरण करता है
- राजनैतिक दलॉ का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलॉ के रूप मे वर्गीकरण, मान्यता देना, दलॉ-निर्दलीयॉ को चुनाव चिन्ह देना
- सांसद/विधायक की अयोग्यता (दल बदल को छोडकर) पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह देना
- गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियॉ को निर्वाचन के लिये अयोग्य घोषित करना

**निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ**

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए
- निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है
- निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधियों की पूरक है न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरूद्ध प्रयोग नही की जा सकती है
- यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है
- सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है
- जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनु 14,15 भी राष्ट्रपति, राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते है

Pram Ias

## 30. राज्य चुनाव आयोग

राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, पंचायत आदि में चुनाव आयोजित करता है।

**भारत के राज्य चुनाव आयोग पर मुख्य बिंदु**

- राज्य चुनाव आयोग प्रत्येक आम चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सहायता के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता के अनुसार एक आयुक्त या मुख्य चुनाव अधिकारी या एक चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकता है।
- संविधान के अनुसार चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्दिष्ट नहीं है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1966 जिले के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जिला कलेक्टर को जिले के रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- जिला कलेक्टर जिले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) और प्रत्येक मतदान केंद्र या बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी (पीओ) की नियुक्ति करता है।
- स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग कानून के अनुसार मतदाताओं की सूची तैयार और संशोधित करता है।
- चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें, कार्यकाल आदि संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- देश के संविधान और सामान्य कानून के अनुसार, चुनाव आयोग सभी कार्यों का संचालन और पर्यवेक्षण करता है।
- राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकार के परामर्श से राज्य में स्वायत्त निकायों के चुनाव आयोजित करता है।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल संसद से कानून द्वारा आयुक्तों को नियंत्रित करते हैं।

## 31. लोक सेवा आयोग: संघ और राज्य

**परिचय**

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 312** (Article 312) के अनुसार, संसद को संघ और राज्यों के लिये एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं (एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) बनाने का अधिकार प्राप्त है।
  - इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग ( Union Public Service Commission- UPSC) द्वारा की जाती है।
  - राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं हेतु राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission- SPSC) द्वारा भर्ती की जाती है।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है।
  - भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।
  - यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
- केंद्र में UPSC के समानांतर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) कार्यरत्त है।
  - संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत SPSC की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा SPSC की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान किये गए हैं।

**संवैधानिक प्रावधान:**

- अनुच्छेद 315: संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions- PSC) का गठन।
- अनुच्छेद 316: UPSC के साथ-साथ SPSC के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल।
- अनुच्छेद 317: UPSC या SPSC दोनों के सदस्य को हटाना और निलंबित करना।
- अनुच्छेद 318: आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 319: आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 320: लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन।
- अनुच्छेद 321: लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति।
- अनुच्छेद 322: लोक सेवा आयोगों के व्यय।
- अनुच्छेद 323: लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट।

**संघ लोक सेवा आयोग**

- **सदस्यों की नियुक्ति:** UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **कार्यालय:** UPSC का कोई भी सदस्य छह साल की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा।

- **पुनर्नियुक्ति:** कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- **त्यागपत्र:** संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
- **सदस्यों का निष्कासन/निलंबन:** संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा।
  राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय पूर्ण होने से पूर्व भी निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है।
- **पदच्युत:** UPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह:
  - दिवालिया घोषित किया गया है।
  - अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होता है।
  - राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिये अयोग्य है।
- **सेवा की शर्तों को विनियमित करना:** UPSC के मामले में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति:
  - आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है।
  - आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करता है।
- **शक्तियों पर प्रतिबंध:** UPSC के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा।
- **कार्यों का विस्तार करने की शक्ति:** किसी राज्य का विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग या SPSC द्वारा संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में और कानून अथवा किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा गठित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निकाय कॉर्पोरेट की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के हेतु प्रावधान कर सकता है।
- **व्यय:** आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित UPSC का खर्च भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से लिया जाता है।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करना: UPSC भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किये गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  - जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है।
  - अस्वीकृति के कारणों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन (Parliament) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

**राज्य लोक सेवा आयोग**

- **सदस्यों की नियुक्ति:** SPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के **राज्यपाल** द्वारा की जाती है।
- **कार्यकाल:** SPSC के सदस्य छह साल की अवधि के लिये या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं।
- **पुनर्नियुक्ति:** कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- **त्यागपत्र:** राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है।
- **सदस्यों का निष्कासन/निलंबन:** SPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उनके कार्यालय से हटाया जाएगा।
- राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है।
- सदस्यों को हटाने की शर्तें UPSC के सदस्यों के हटाने के समान ही हैं।
- सेवा शर्तों का विनियमन: SPSC के मामले में राज्यों के राज्यपाल वहीँ कर्तव्यों का पालन करते हैं जो UPSC के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किये जाते हैं।
- शक्ति पर प्रतिबंध: SPSC के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा ।
- **खर्च:** SPSC के सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- **रिपोर्ट:** SPSC अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है।
- जिन मामलों में आयोग की सलाह मान्य नहीं होगी उन मामलों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को प्रस्तुत करना होगा।
- अस्वीकृति के कारणों को पहले राज्य विधानमंडल (Legislature of the State) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

**सेवा अवधि समाप्त होने पर पुन: नियुक्तियाँ:**

- **अध्यक्ष (UPSC):** UPSC का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर रोज़गार हेतु अपात्र होगा।
- **अध्यक्ष (SPSC):** SPSC के अध्यक्ष UPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अन्य SPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोज़गार के लिये पात्र नहीं होंगे।
- **अन्य सदस्य (UPSC):** UPSC का सदस्य (अध्यक्ष के अलावा) UPSC या SPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा।
- वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोज़गार हेतु पात्र नहीं है।

**UPSC और SPSC के कार्य:**

- परीक्षा आयोजित कराना: संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का कर्तव्य है कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाएँ।
- SPSC को सहायता: यूपीएससी का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा हेतु संयुक्त भर्ती योजना तैयार करने और संचालन करने में मदद करे, जिसके लिये विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है।
- PSC के साथ परामर्श: UPSC और SPSC निम्नलिखित मामलों पर विचार विमर्श करती है:

- सिविल सेवाओं और सिविल पदों हेतु भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर।
- उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण में।
- भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर।
- लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह दे।

**संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार, दो या दो से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिये एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है।
  - तभी संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (Joint State Public Service Commission- JSPSC) की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है।
  - इस प्रकार के संकल्प को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा।
- **अधिकारियों की नियुक्ति:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि JSPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
  - संयुक्त आयोग का सदस्य छह वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
- **इस्तीफा:** अनुच्छेद 317 के तहत JSPSC का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ दिये जाने के बाद राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है।
- **शक्तियाँ:** अनुच्छेद 318 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:
  - आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने से संबंधित।
  - सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करने से संबंधित।
- **रिपोर्ट:** अनुच्छेद 323 के अनुसार, JSPSC का यह कर्तव्य होगा कि वह उन राज्यों के राज्यपालों के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिन्होंने मिलकर आयोग का गठन किया है।
  - प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उन मामलों की व्याख्या करते हुए एक ज्ञापन प्रदान करने हेतु ज़िम्मेदार होता है, जिनमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया हो।
  - अस्वीकृति के कारण प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

## 32. राज्य पुनर्गठन आयोग

भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों के 'राज्यों' को भाषायी आधार पर पुनर्गठित करने के लिये **राज्य पुनर्गठन आयोग** (States Reorganisation Commission) की स्थापना 1953 में की। 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार भाषाई था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में यह बात उठी थी कि जनतंत्र में प्रशासन को आम लोगों की भाषा में काम करना चाहिए, ताकि प्रशासन लोगों के नजदीक आ सके।पंजाब मे सभी विश्वविद्यालय में अनेक भाषाओं में एजूकेशन दिया जाता है।पंजाब का नवीनतम जिला मलेरकोटला है।

**इतिहास**

अंग्रेजों से पहले का भारत 21 प्रशासनिक इकाइयों (सूबों) में बँटा हुआ था। इनमें से कई सूबों की सांस्कृतिक पहचान सुस्पष्ट थी और कुछ में संस्कृतियों का मिश्रण था। किन्तु भारत को अपना उपनिवेश बनाने के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा का खयाल करते हुए मनमाने तरीके से भारत को नये सिरे से बड़े-बड़े प्रांतों में बाँटा। एक भाषा बोलने वाल तरह भंग कर दी गयी। बहुभाषी व बहुजातीय प्रांत बनाये गये। इतिहासकारों की मान्यता है कि भले ही इन प्रांतों को 'फूट डालो और राज करो' के हथकंडे का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया था, पर उनमें अपनी सत्ता टिकाये रखने के लिए अंग्रेजों ने इस नीति का जम कर उपयोग किया।

1920 के दशक में जैसे ही गाँधी के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व आया, आजादी के आंदोलन की अगुआयी करने वाले लोगों को लगा कि जातीय-भाषाई अस्मिताओं पर जोर दे कर वे उपनिवेशवाद विरोधी मुहिम को एक लोकप्रिय जनाधार दे सकते हैं। अतः कांग्रेस ने अंग्रेजों द्वारा रचे गये 'औपनिवेशिक प्रांत' की जगह ख़ुद को 'प्रदेश' नामक प्रशासनिक इकाई के इर्द-गिर्द संगठित किया। यह 'प्रदेश' नामक इकाई अपने बुनियादी चरित्र में अधिक लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक (जातीय और भाषाई) अस्मिता के प्रति अधिक संवेदनशील और क्षेत्रीय अभिजनों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं के प्रति जागरूक थी। इस तरह 'नये भारत' की कल्पनाशीलता को उसका आधार मिला। कांग्रेस के इस पुनर्गठन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन भाषाई अस्मिताओं से सुनियोजित पोषण प्राप्त करने लगा। प्रथम असहयोग आंदोलन की जबरदस्त सफलता के पीछे मुख्य कारण यही था। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे काग्रेस का पूरा समर्थन था। इस समिति ने भाषा, जन-इच्छा, जनसंख्या, भौगोलिक और वित्तीय स्थिति को राज्य के गठन का आधार माना।

1947 में भारत को आजादी मिलते ही भारत के सामने 562 देशी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन का सवाल मुंह बाए खड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए इसी साल श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया। दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। उसका मुख्य जोर प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था। किन्तु तत्कालीन जनाकाक्षाओं को देखते हुए ही तत्काल उसी वर्ष जेबीपी आयोग (जवाहर लाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) का गठन किया गया। जिसने प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का तेलुगुभाषी राज्य के तौर पर गठन किया गया। ध्यातव्य है कि सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामलू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गयी थी जिसने अलग तेलुगू भाषी राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया था।

22 दिसम्बर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम **राज्य पुनर्गठन आयोग** का गठन हुआ। इस आयोग के तीन सदस्य - न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और केएम पाणिक्कर थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया। जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1963 में नगालैंड गठित हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए। 1987 में मिजोरम का गठन किया गया और केन्द्र शासित राज्य अरूणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए तथा इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना 29 वां राज्य बना जो आन्ध्रप्रदेश राज्य से अलग होगया।

## 33. राजभाषा आयोग

भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में निम्नांकित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया –
(क) संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक से प्रयोग,
(ख) संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही,
(ग) संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए,
(घ) संघ के किसी या किन्ही खास कार्यो के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप,
(ङ) एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच और एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे-धीरे हिन्दी ले।
अपनी सिफारिशें करते समय आयोग को इस बात का ध्यान रखना था कि उन सिफारिशों से भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे और सरकारी नौकरियों के मामले में हिन्दीतर क्षेत्रों के लोगों के उचित अधिकार और हित सुरक्षित रहें। आयोग ने अपने विचारार्थ विषय के विभिन्न पहलुओं से आधुनिक भाषा, भारतीय भाषाओं का स्वरूप, पारिभाषिक शब्दावली, संघ की भाषा और शिक्षा पद्धति, सरकारी प्रशासन में भाषा, कानून और न्यायालयों की भाषा, संघ की भाषा , लोक सेवाओं की परीक्षाएं , हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार और विकास, राष्ट्रीय भाषा संबधी कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिए संस्थाओं आदि की व्यवस्था आदि के बारे में विस्तार से विवेचन तथा विचार विमर्श करने के पश्चात 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया।

**आयोग की संस्तुतियाँ**

- इस आयोग ने 31 जुलाई, 1956 को अपना प्रनिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। आयोग की संस्तुतियाँ ये थीं-
- भारत की जनतान्त्रिक पद्धति को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार करना संभव नहीं है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अनिवार्य शिक्षा देने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। प्रशासन को सार्वजनिक जीवन एवं दैनिक कार्यकलापों में विदेशी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है।
- बहुमत द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली हिन्दी ही पूरे देश के लिए एक सुस्पष्ट भाषा माध्यम है।
- १४ वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हिन्दी का उचित ज्ञान प्राप्त कराया जाना चाहिए।
- सारे देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक हिन्दी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। हिन्दीभाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक दूसरी दक्षिण भारतीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया जाना आयोग को मान्य नहीं है।
- सभी विश्वविद्यालयों को चाहिए कि हिन्दी माध्यम से जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठना चाहें उनके लिए वे उचित प्रबंध करें।
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में यदि सब विद्यार्थी एक भाषायी वर्ग के हों तो उनकी भाषा के माध्यम से ही उन्हें शिक्षा दी जाए और यदि वे विभिन्न भाषायी क्षेत्रों के हों तो हिन्दी भाषा को ही उन सभी के लिए माध्यम के रूप में अपनाया जाए।
- प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए हिन्दी का निश्चित अवधि में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियम लागू किए जाएँ और ऐसा न करने वालों को दंडित किया जाए।

- जनता से सीधा संबध रखने वाले विभागों और संगठनों में आंतरिक कार्यो में हिन्दी तथा जनता से व्यवहार हेतु क्षेत्रीय भाषा व्यवहार में लाई जाए।
- राज्य और संघ सरकार के अधिकारियों के लिए किसी स्तर का हिन्दी ज्ञान अनिवार्य किया जाय और इसके लिए उन्हें अधिकाधिक पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाय।
- स्वीकृत सरकारी कानून हिन्दी में ही होने चाहिए, परंतु जनता की सुविधा केलिए क्षेत्रीय भाषाओं में उनके अनुवाद प्रकाशित किए जाने चाहिए।
- देश में न्याय, देश की भाषा में किया जाए, इसके लिए यह जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की समस्त कार्यवाही तथा विलेखों, निर्णयों तथा आदेशों के आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद भी संलग्न किए जाएं।
- अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं हेतु कर्मचारियों के लिए हिन्दी की योग्यता रखना आवश्यक किया जाए। इन परीक्षाओं में हिन्दी का अनिवार्य प्रश्न-पत्र रखा जाए, परंतु अहिन्दीभाषी विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से उसका स्तर अति साधारण रहे।

## 34. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

**"लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है।"**
**- नेल्सन मंडेला**

### क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई थी।
- मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 12 अक्टूबर, 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किये।
- यह संविधान द्वारा दिये गए मानवाधिकारों जैसे - जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

### मानवाधिकारों का इतिहास

- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर, 1948 को पेरिस में अपनाया गया था।
- मानव अधिकारों के इतिहास में यह बहुत महत्त्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था।
- हर साल 10 दिसंबर को UDHR की सालगिरह के रूप में **मानवाधिकार दिवस** मनाया जाता है।
- 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह (जिन्हें **पेरिस सिद्धांतों** के नाम से जाना जाता है) तैयार किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुए।
- इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानवाधिकारों में अधिक जवाबदेही और मज़बूती लाने के उद्देश्य से **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** बनाया गया।
- यह अधिनियम सभी राज्य सरकारों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है।

### NHRC की संरचना

- NHRC एक बहु-सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक सदस्य तथा दो डीम्ड सदस्य होते हैं।
- यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम-से-कम 3 पदेन सदस्य हों।
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, तक होता है।
- इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जाँच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएं।
- इसके अतिरिक्त आयोग में पाँच विशिष्ट विभाग (विधि विभाग, जाँच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग) भी होते हैं।
- राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है।

### NHRC के कार्य और शक्तियाँ

- मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC को उसकी जाँच करने का अधिकार है।
- इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

- आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमे सुधार के लिये सुझाव दे सकता है।
- NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिये प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है।
- NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है।
- आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है।
- आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है।
- इसके पास मुआवज़े या हर्जाने के भुगतान की सिफ़ारिश करने का भी अधिकार है।
- NHRC की विश्वसनीयता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज़ होती हैं।
- यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की सिफ़ारिश भी कर सकता है।
- आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

**NHRC की सीमाएँ**
- NHRC के पास जाँच करने के लिये कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जाँच करने का आदेश देता है।
- NHRC के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है, वह किसी को निर्णय लागू करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।
- कई बार धन की अपर्याप्ता भी NHRC के कार्य में बाधा डालती है।
- NHRC उन शिकायतों की जाँच नहीं कर सकता जो घटना होने के एक साल बाद दर्ज कराई जाती हैं और इसीलिए कई शिकायतें बिना जाँच के ही रह जाती हैं।
- अक्सर सरकार या तो NHRC की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जाँच करने से रोका जाता है।
- केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफी सीमित कर दिया गया है।

**सुझाव**
- NHRC को सही मायनों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक कुशल प्रहरी बनाने के लिये उसमें कई सुधार करने की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है।
- NHRC की संरचना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- NHRC को जाँच के लिये उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया काडर तैयार करना चाहिए ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जाँच की जा सके।
- भारत में मानवाधिकार स्थितियों को सुधारने और मजबूत करने के लिये राज्य अभिकर्त्ताओं और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा।

## 35. संविधान संशोधन

बदलती परिस्थितियों और ज़रूरतों के साथ स्वयं को समायोजित करने के लिये भारत का संविधान इसके संशोधन का प्रावधान करता है। संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिये संसद की शक्तियों से संबंधित है।

**अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित संविधान के संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है:**
- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है, न कि राज्य विधानसभाओं में।
- विधेयक को या तो एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
- विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिये अर्थात् सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से।
- प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

- यदि बिल संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, तो इसे आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा साधारण बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिये।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद जहाँ आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिये प्रस्तुत किया जाता है।
- राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिये संसद को लौटा सकता है।
- राष्ट्रपति की सहमति के बाद बिल एक अधिनियम (यानी एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम) बन जाता है और अधिनियम की शर्तों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है।

**महत्त्वपूर्ण संशोधनः**

**प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951:**
- इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिये विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियाँ दी गई।
- कानून की रक्षा के लिये संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।
- भमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नौंवी अनुसूची में स्थान दिया गया।
- अनुच्छेद 31 में दो उपखंड 31(क) और 31 (ख) जोड़े गये।
- वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के तीन आधार जोड़े गये, ये थे- लोक आदेश, अपराध करने के लिये उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिये। प्रतिबंधों को और तर्क सांगत बनाया और इस प्रकार ये न्याययोज्य बना दिये गए।
- यह व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यवसाय या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है।

**4वाँ संशोधन अधिनियम, 1955:**
- निजी संपत्ति के अनविार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिये जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जाँच के दायरे से बाहर किया गया।
- राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया (या प्राधिकृत किया गया।)
- नौवीं अनुसूची में कुछ और कानून (अधिनियम) जोड़े गये।
- अनुच्छेद 31(I) (कानूनों का संरक्षण) के दायरे को विस्तृत किया गया।

**7वाँ संशोधन 1956:**

**कारण**

यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 को लागू करने के लिये किया गया था।

**संशोधनः**
- द्वितीय तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया।
- राज्यों के चार वर्गों की समाप्ति (भाग-क, भाग-ख, भाग-ग और भाग-घ) की गई और इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई।
- उच्च न्यायालयों के न्यायक्षेत्र का विस्तार संघशासित प्रदेशों तक किया गया।
- दो या दो से अधिक राज्यों के लिये एक कॉमन (उभय) उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था (प्रावधान) की गई।
- उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।

**9वाँ संशोधन अधिनियम, 1960:**

**कारण**
- भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौतों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया।
- इस समझौते के पश्चात् संघ ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू-क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति भारत के किसी भू-भाग को किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती।
- अतः किसी भारतीय भू-भाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौपा जा सकता है।

**संशोधनः**

पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघराज्य क्षेत्र को भारत-पाक समझौते (1958) के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया।

**10वाँ संशोधन अधिनियम, 1961:**

दादरा और नागर-हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया।

**11वाँ संशोधन अधिनियम, 1961:**
- उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए- इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई।

- राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

**12वाँ संशोधन अधिनियमः**
गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया।

**13वाँ संशोधन अधिनियम, 1962:**
नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके लिये विशेष उपबंध किये गये।

**14वाँ संशोधन अधिनियम, 1962:**
पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
संघशासित प्रदेशों जैसे- हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुदुचेरी के लिये विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई।

**17वाँ संशोधन अधिनियम, 1964:**
यदि भूमि का बाज़ार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिये भू- अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया।
नौवीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई (जोड़ा गया)।

**18वाँ संशोधन अधिनियम, 1966:**
- इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नये राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है (या इसमें निहित है) कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघशासित प्रदेश के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघशासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है।
- इसी दौरान पंजाब और हरियाणा नामक दो नये राज्य बनाए गए।

**21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967:**
सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।

**24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971:**
- संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
- संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी (अपनी स्वीकृति) देने के लिये बाध्य कर दिया गया।

**25वाँ संशोधन अधिनियम, 1971:**
- संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई।
- यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 (ख)या (ग) में वर्णित नीति-निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिये बनाए गये किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है।

**26वाँ संशोधन अधिनियम, 1971:**
इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रिवीपर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया।

**31वाँ संशोधन अधिनियम, 1972:**
**कारण**
वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई।
**संशोधन**
लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया।

**33वाँ संशोधन अधिनियम, 1974:**
अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष/सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है।

**35वाँ संशोधन अधिनियम, 1975:**
सिक्किम को दिये गये संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया तथा उसे भारतीय संघ के एक सह-राज्य का दर्जा दिया गया।
दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं शर्ते स्पष्ट की गईं।

**36वाँ संशोधन अधिनियम, 1975:**
सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर दसवीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया।

**38वाँ संशोधन अधिनियम, 1975:**

- राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषाणा को गैर-वादयोग्य बना दिया गया।
- राष्ट्रपति,राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर-वाद योग्य घोषित किया गया।
- राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उदघोषणा करने की शक्तियाँ दी गई।

**39वाँ संशोधन अधिनियम, 1975:**

**कारण**

यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संदर्भ में लाया गया था जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायणा की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था।

**संशोधन**

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया।
- यह तय किया गया कि इनसे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किये गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- नौंवी अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया।

**42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:**

**संशोधन**

- यह सबसे महत्त्वपूर्ण संशोधन है इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया।
- संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता तीन नए शब्दों को जोड़ा गया।
- एक नये भाग-iv (क) में नागरिकों के लिये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।
- कैबिनेट की सलाह मानने के लिये राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया।
- प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिये अधिकरणों की व्यवस्था की गई। (भाग (xiiv) (क) जोड़ा गया)
- वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया।
- संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जाँच से बाहर किया गया।
- SC और HC के न्यायीक समीक्षा तथा रिट (writ) न्यायक्षेत्र की शक्तियों में कटौति की गई।
- लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई।
- यह व्यवस्था की गई कि DPSP के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता है कि ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं।
- संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिये विधि बनाने की शक्तियाँ दी गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होगें।
- तीन नये नीति-निदेशक तत्व जोड़े गए ये हैं- समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्द्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना।
- भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उदघोषणा की व्यवस्था की गई।
- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक-बार में 6 माह से बढ़ाकर एक वर्ष तक कर दिया गया।
- किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिये केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार/शक्तियाँ दी गई।
- पाँच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया। ये हैं- शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन।
- संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई।
- अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई।

**43वाँ संशोधन अधिनियम, 1997:**

न्यायीक समीक्षा तथा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्रधिकारों को पुनःस्थापित कर दिया गया।

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में विधि बनाने की संसद की विशेष शक्तियों को समाप्त कर दिया।

**44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978:**

- लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनःस्थापित कर दिया गया (अर्थात् पुनः 5 वर्ष कर दिया गया।)
- संसद एवं राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया।
- संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया।
- संसद एवं राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों की खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया।
- कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिये एक बार लौटाने/ वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई। परंतु पुनर्विचारित सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिये बाध्य कर दिया गया।

- अध्यादेशों को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया।
- राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में 'आंतरिक अशांति' शब्द के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को रखा गया।
- राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था की गई।
- राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा (सेफगार्ड्स) के उपाय किये गये।
- मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा उसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया।
- अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किये जा सकने की व्यवस्था की गई।
- उस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी।

**50वाँ संशोधन अधिनियम, 1984:**
**संशोधन**
संसद को खुफिया संगठनों या सशस्त्र बलों या खुफिया सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई।

**52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985:**
**कारणः**
'दल-बदल' तथा आया राम और गया राम' राजनीति को रोकने के लिये।
**संशोधन**
संसद तथा विधानमंडलों के सदस्यों को दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिये एक नई अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ी गई।

**58वाँ संशोधन अधिनियम, 1987:**
राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित कराने का अधिकार दिया गया (अनुच्छेद 394)।

**61वाँ संशोधन अधिनियम, 1989:**
लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

**65वाँ संशोधन अधिनियम, 1990:**
SC और ST के लिये राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। (SC अनुसूचित जाति। ST अनुसूचित जनजाति।)

**69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991:**
केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' बनाया गया।
दिल्ली के लिये 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई।

**71वाँ संशोधन अधिनियम, 1992:**
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या 18 हो गई।

**73वाँ संशोधन अधिनियम 1992:**
पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया।
इसके लिये 'पंचायत' नाम से नया भाग-IX जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे।

**74वाँ संशोधन अधिनियम 1992:**
शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। इसके तहत भाग-IX (क) के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया। इसे नगरपालिका कहा गया तथा एक नई अनुसूची-12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके तहत 18 विषय रखे गए।

**77वाँ संशोधन अधिनियम 1995:**
अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। उस संशोधन से प्रोन्नति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया।

**80वाँ संशोधन अधिनियम 2000:**
**संशोधन-**
इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बँटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय करों और शुल्कों का 29% राज्यों के बीच बाँट दिया जाना चाहिये।

**81वाँ संशोधन अधिनियम 2000:**

- इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वह किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें माने तथा उन्हें अगले किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था करें। इस तरह की अलग से रिक्त पड़ी सीटों को उस वर्ष भरी जाने वाली सीटों, जो कि 50% आरक्षण की सीमा को पूरा करती हैं के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिये।
- इस तरह इस संशोधन में बैकलॉग पदों में आरक्षण की 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया।

**82वाँ संशोधन अधिनियम 2000:**

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये केंद्र एवं राज्यों की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों में ढील देने की व्यवस्था की गयी।

**84वाँ संशोधन अधिनियम 2001:**

लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्षो (वर्ष 2026 तक) तक के लिये प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करना था।
दूसरे शब्दों में लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक वही रखा गया।
यह व्यवस्था की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा।

**85वाँ संशोधन अधिनियम 2001:**

**संशोधन-**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में 'परिणामिक वरिष्ठता' को जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से मानने की व्यवस्था की गई।

**86वाँ संशोधन अधिनियम 2002:**

**संशोधन-**

- अनुच्छेद 21(A) के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तथा नीति-निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया।
- अनुच्छेद 21(A) में एक नया मौलिक कर्त्तव्य जोड़ा गया।

**87वाँ संशोधन अधिनियम 2003:**

**संशोधन-**

राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वें संशोधन के तहत वर्ष 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया था।

**89वाँ संशोधन अधिनियम 2003:**

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया-
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 388)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग [अनुच्छेद 388 (A)]

**91वाँ संशोधन अधिनियम 2003:**

- मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिये दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल-बदल कानून को और मजबूत करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गए।
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिये भी अयोग्य या निरर्हक होगा।
- किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी।
- राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य चाहे वह किसी भी राजनितिक दल से हो यदि दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह मंत्री बनने के लिये भी अयोग्य होगा।
- संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य, यदि दल-बदल के आधार पर यदि अयोग्य करार दिया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी राजनीतिक पद के लिये भी अयोग्य माना जाएगा।
- लाभप्रद राजनीतिक पद (Remanerative Political Post) का अर्थ/ अभिप्राय निम्नलिखित से है-
- केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई भी पद जिसके लिये उस सरकार के लोक राजस्व से वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता हो।
- केंद्र अथवा राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः मालिकाना, स्वामित्व के अधीन किसी निकाय का कार्यालय तथा उसी निकाय द्वारा वेतन अथवा पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, सिवाय जहाँ वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूरक प्रकृति का हो [(अनुच्छे 361-(1B)]

- दसवीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 सदस्यों को दल-बदल से अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया इसका अर्थ यह हुआ कि दल-बदलुओं के बीच फूट के आधार पर उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।

**92वाँ संशोधन अधिनियम 2003:**
आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाएँ जोड़ी गई। वे है- बोडो, डोगरी, मैथिली, और संथाली। इनके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई।

**93वाँ संशोधन अधिनियम 2005:**
- राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो या SCs या STs के लिये सरकारी एवं निजी सभी तरह के शैक्षणिक संस्थानों में (राज्य द्वारा सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त) विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। इनमें अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं है- [अनुच्छेद-15 (5)]।
- यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा इनामदार मामले (2005) में दिये गए फैसले को निरस्त करने के लिये किया गया था। इस केस में कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य अल्पसंख्यकों एवं गैर-अल्पसंख्यकों के गैर सहायता प्राप्त निजी एवं प्रोफेशनल कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को थोप नहीं सकता कोर्ट ने घोषणा की कि निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण असंवैधानिक हैं।

**96वाँ संशोधन अधिनियम 2011:**
'उरिया' शब्द को 'उड़िया' शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। आठवीं अनुसूची में शामिल 'उड़िसा' भाषा को अब 'ओडिया' कहा जाएगा।

**97वाँ संशोधन अधिनियम 2011:**
- सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। संविधान में तीन निम्नलिखित बदलाव किये गए।
- सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया (अनुच्छेद-19)।
- सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिये उन्हें नीति-निदेशक तत्त्वों में शामिल किया गया।
- संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग IX-B (Part IX-B) जोड़ा गया।

**99वाँ संशोधन अधिनियम 2014:**
- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग" की स्थापना की गई।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया।

**100वाँ संशोधन अधिनियम 2014:**
- भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 का भूमि सीमा समझौता तथा इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भू-भागों का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भू-भागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया। (भूखंडों का आदान- प्रदान तथा अवैध अधिग्रहण को हस्तांतरित कर)।
- इस उद्देश्य के लिये, संविधान की प्रथम अनुसूची में चार राज्यों के क्षेत्रें (असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा) हो संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया।

**101वाँ संशोधन अधिनियम 2017:**
वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत की गई।
यह (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है।
यह एक व्यापक बहुचरणीय, गंतव्य आधारित कर है। यह इस संदर्भ में व्यापक जो यह कुछ ही करों को छोड़कर अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है।

**102वाँ संशोधन अधिनियम 2018:**
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338(A) के साथ 388(B) को भी शामिल किया गया जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है।

**103वाँ संशोधन अधिनियम 2019:**
स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई।
अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई।

**104वाँ संशोधन अधिनियम 2020:**
लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण सत्तर से बढ़ाकर अस्सी साल कर दिया गया है। लोकसभा और राज्य विधान सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है। इसके लिए धारा 334 में संशोधन किया गया है।

**105वाँ संशोधन अधिनियम 2021:**
105वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में निहित है कि राज्य सरकारों के पास SEBC की पहचान करने का अधिकार नहीं है।

# 36. बहुमत के प्रकार

**बहुमत क्या होता है**

- बहुमत को इंग्लिश में मेजोरिटी (Majority) कहते है| बहुमत शब्द का प्रयोग मुख्यतः मतदान के सन्दर्भ में किया जाता है। सामान्यतः जब कोई प्रत्याशी सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, तो उसे 'बहुमत मिला है' कहते हैं। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत पार्लियामेंट (संसद) या विधानसभा में सबसे अधिक सदस्यों वाले राजनीतिक दल द्वारा पूर्ण बहुमत से बनाई गई सरकार को बहुमत की सरकार कहते हैं|

**बहुमत के प्रकार (Types Of Majority)**
**सामान्यतः बहुमत 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है-**

- सामान्य या साधारण बहुमत (Simple Majority)
- पूर्ण बहुमत (Absolute Majority)
- प्रभावी बहुमत (Effective Majority)
- विशेष बहुमत (Special Majority)

- **सामान्य या साधारण बहुमत (Simple Majority)**
  साधारण या सामान्य बहुमत के अंतर्गत किसी भी सदन में कुल उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। जिस राजनीतिक पार्टी के पास सदस्यों की संख्या पचास प्रतिशत से अधिक होती है, उसे साधारण बहुमत मिला हुआ मान लिया जाता है। साधारण बहुमत को निकालने का फार्मूला इस प्रकार है- साधारण बहुमत = (कुल उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या / 2) + 1

- **पूर्ण बहुमत (Absolute Majority)**
  पूर्ण या आत्यांतिक बहुमत संसद के किसी भी सदन के कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक होता है| इसमें सदन में उपस्थित और अनुपस्थित दोनों सदस्यों को जोड़ कर बनने वाले 50 प्रतिशत से अधिक को बहुमत माना जाता है| लोकसभा और **राज्यसभा** दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत एक ही फॉर्मूले से निकाला जाता है| उन दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 50% से अधिक को पूर्ण बहुमत कहा जाता है पूर्ण बहुमत को निकालने का फार्मूला इस प्रकार है- पूर्ण या आत्यांतिक बहुमत = (सदन की कुल सदस्य संख्या / 2) + 1

- **प्रभावी बहुमत (Effective Majority)**
  प्रभावी बहुमत के अंतर्गत किसी भी सदन में वास्तविक सदस्यों (रिक्तियों को घटाकर) की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। प्रभावी बहुमत को निकालने का फार्मूला इस प्रकार है-
  प्रभावी बहुमत = (सदन की वास्तविक सदस्य संख्या / 2) + 1

- **विशेष बहुमत (Special Majority)**
  विशेष बहुमत का प्रयोग मुख्य रूप से दो कारणों संविधान में संशोधन करनें तथा महाभियोग लानें में किया जाता है| इसमें सदन के कुल सदस्यों का दो तिहाई (2/3) गिना जाता है, कहनें का आशय यह है कि संसद के किसी भी सदन में कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई को विशेष बहुमत कहा जाता है| इसे निकालने का फार्मूला इस प्रकार है- विशेष बहुमत = सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या X 2/3

**सामान्य और विशेष बहुमत में अंतर**
सामान्य या साधारण बहुमत के अंतर्गत सदन में सभी सदस्यों की उपस्थिति न होने पर भी किसी भी कार्य को करनें में उनकी उपस्थिति 50 प्रतिशत मानी जाती है, अर्थात 50 प्रतिशत +1 का नियम लागू होता है, जबकि विशेष बहुमत का प्रयोग संविधान में संशोधन करनें तथा महाभियोग लगानें हेतु किया जाता है| इसके अंतर्गत सदन के कुल व उपस्थित सदस्य संख्या के दो-तिहाई (2/3) सदस्यों का समर्थन होनें पर ही विधेयक पारित किया जाता है |

## Total 70+ Selection
## 66TH BPSC

RANK-1

**GOURAV SINGH**

## Total 59 Selection
## 65TH BPSC

**Rank-13**

**Akash**

**Rank-14**

**Mayank**

**Rank-31**

**Viveka Nand**

**Rank 32**

**Gaurav**

**Rank- 38**

**Sunil Kumar**

**Rank- 44**

**Alok Kumar**

**Rank-45**

**SHIPRA**

**Rank-51**

**Sneha Salvi**

**Rank-66**

**Om Prakask**

**Rank-66**

**Baby**

**Rank-90**

**Rohit**

**Rank-124**

**Aman Deep Singh**

**Rank 151**

**Kanchan Raj**

**Rank-296**

**Archana Kumari**

## 65th BPSC

**Rank 17**

**Abhinav Prashar**

**Rank 33**

**Sweta Priyadarshi**

**Rank-37**

**Shikha**

**Rank 41**

**Kunal Goswami**

**Rank-45**

**Rajeev Kumar**

**Rank -60**

**Isha Gupta**

**Rank 68**

**Chandan**

**Rank-81**

**Kumkum**

**Rank- 183**

**Vikram Bhashkar**

**Rank-191**

**Saifur Rehman**

**Manisha baby**

**Rank-161**

**Ravi Ranjan**

**Kumkum Pathak**

**Next you**

**Join us Today**

**It will be your best move ever!**

- https://t.me/pramias1
- ww.facebook.com/bpscexress
- t.me/bpscexpress
- youtube.com/PRAMIAS

**To make education affordable, so as to reach to the economically weaker section of the society, accessible, so as to reach to the remotest area and provide quality guidance directly by the selected officers**